पत्रांक– 1/PMC/विविध/879/2012– पार्ट II–124

बिहार सरकार

जल संसाधन विभाग

प्रेषक,

अरूण कुमार द्विवेदी
संयुक्त सचिव(अभियंत्रण)

सेवा में,

सभी मुख्य अभियंता
जल संसाधन विभाग,
बिहार, पटना

पटना, दिनांक :– 04–02–2021

विषय :– विभिन्न सरकारी विभागों/निगमों/निकायों में संविदा/ठेका पर काम लेने हेतु चरित्र सत्यापन की अनिवार्यता के संबंध में।

प्रसंग :– गृह विभाग, बिहार सरकार का पत्रांक–29, दिनांक–25.01.2021

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि विभाग अतंर्गत विभिन्न प्रकार के कार्यों को संविदा/ठेका के आधार पर कराये जाने से संबंधित प्रासंगिक पत्र(प्रति संलग्न) में वर्णित निदेशों का अनुपालन सुनिश्चित कराया जाय।

अनु0– यथोक्त्।

विश्वासभाजन

04/02/2021

(अरूण कुमार द्विवेदी)
संयुक्त सचिव(अभियंत्रण)

ज्ञापांक– 1/PMC/विविध/879/2012– पार्ट II–124 पटना, दिनांक– 04–02–2021

प्रतिलिपि :– अधीक्षण अभियंता, कैड/ अधीक्षण अभियंता, बाढ़ नियंत्रण योजना एवं मोनिटरिंग अंचल/ अधीक्षण अभियंता, योजना एवं मोनिटरिंग अंचल–2 एवं 3, जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

04/02/2021

(अरूण कुमार द्विवेदी)
संयुक्त सचिव(अभियंत्रण)

Desktop/fazal/draft_Letter_Cricular_890

Received through mail, Date:- 27.01.21

पत्रांक 01 / अ0मु0स0को0 / 2021 / 29/अ0मु0स0को0

284

बिहार सरकार
गृह विभाग

आमिर सुबहानी
अपर मुख्य सचिव

सेवा में

पुलिस महानिदेशक, बिहार
सभी विभाग / विभागाध्यक्ष, बिहार
सभी प्रमंडलीय आयुक्त / जिला पदाधिकारी, बिहार

पटना दिनांक 15 जनवरी 2021

विषय : विभिन्न सरकारी विभागों / निगमों / निकायों में संविदा / ठेका पर काम लेने हेतु चरित्र सत्यापन की अनिवार्यता के विषय में ।

महाशय,

राज्य के अन्तर्गत विभिन्न विभाग / निगम / निकाय अपने स्तर से निविदा सूचना निर्गत कर विभिन्न प्रकार के कार्यों को संविदा / ठेका के आधार पर सक्षम एवं सुयोग्य व्यक्तियों / संस्थानों के माध्यम से सम्पन्न कराते हैं । विधि–व्यवस्था एवं लोक व्यवस्था बनाए रखने हेतु आवश्यक है कि इन कार्यों को सम्पादित करने वाले व्यक्ति तथा उनके कर्मचारी स्वच्छ चरित्र के हों तथा उनका आपराधिक इतिहास नहीं रहा हो। इस संबंध में कुछ प्रकार के कार्यों को आबंटित करने के पूर्व चरित्र प्रमाणपत्र प्राप्त करने की व्यवस्था भी है परन्तु इसमें एकरूपता लाने तथा इसको दृढ़ता से पालन कराने की आवश्यकता महसूस की जा रही है । पुलिस के द्वारा चरित्र प्रमाणपत्र निर्गत करने की वर्तमान प्रक्रिया को और भी सुचारू बनाने हेतु अलग से कार्रवाई प्रक्रियाधीन है ।

अतः उपरोक्त के आलोक में निम्नलिखित निदेश दिये जाते हैं :–

क) सभी सरकारी विभाग / निगम / निकाय अपने अधीन उपरोक्त प्रकार के कार्यों के सम्पादन हेतु निविदा के माध्यम से कार्य आबंटित करते हैं, उन कार्यों का आबंटन निविदा के माध्यम से प्राप्त करने वाले व्यक्तियों से जिला पुलिस के द्वारा निर्गत चरित्र प्रमाणपत्र आवश्य प्राप्त किया जाएगा । जो कार्य पूर्व से आबंटित है, उनके संबंध में भी यदि चरित्र प्रमाणपत्र पूर्व में समर्पित नहीं किया गया है, तो उनसे भी चरित्र प्रमाणपत्र की मांग की जाएगी । यदि किसी कार्य को मुख्य संवदेक द्वारा इकरारनामे की शर्तों के अनुसार अन्य संवेदक को उप आबंटित किया जाता है तो यह नियम उप संवेदक पर भी लागू होगी ।

प्रधान सचिव
जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना
गै०स०प्रे०सं० 464
दिनांक 27/01/2021

सरकारी प्रे०सं० 389
दिनांक 28/01/2021
मु० अभि० चो० एवं मोनिट०
जल संसाधन विभाग, पटना।

अधीक्षण अभियंता
योजना एवं मोनिटरिंग अंचल–1
डायरी नं० 189
दिनांक 28-1-21

अभियंता प्रमुख (मुख्यालय)
जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना
डायरी सं० 288
28/1/21

ख) विभाग/निगम/निकाय से संविदा पर कार्यादेश पाने वाले संस्थानों/व्यक्तियों के द्वारा यदि ऐसे कार्य सम्पादित किये जा रहे हैं जिनके लिए उनके संबंधित कर्मियों के द्वारा सावर्जनिक स्थान यथा, बस स्टैंड, पार्किंग स्थल आदि पर सामान्य जनता के सम्पर्क में रहकर कार्य का निष्पादन किया जा रहा हो तो उपरोक्त कार्यों को कराने वाले संस्थान/व्यक्ति अपने संबंधित कर्मियों को अपने स्तर से पहचान प्रमाणपत्र निर्गत करेंगे तथा उन सभी कर्मियों का चरित्र सत्यापन कराना भी जिला पुलिस से चरित्र प्रमाणपत्र प्राप्त कर सुनिश्चित करेंगे ।

3– अनुरोध है कि उपरोक्त दिशा–निर्देश का अनिवार्य रूप से कड़ाई से पालन किया जाय ।

विश्वासभाजन

25.1.21

(आमिर सुबहानी)
अपर मुख्य सचिव

संचिका सं0–02/क्रय–08–01/2012–(खंड–VI)

बिहार सरकार

जल संसाधन विभाग

प्रेषक,

अंजनी कुमार सिंह
अध्यक्ष
विभागीय अनुसूचित दर निर्धारण समिति
–सह–अभियंता प्रमुख (मुख्यालय)
जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना

सेवा में,

सभी मुख्य अभियंता,
जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना

पटना/दिनांक–

विषय– कार्य विभागों द्वारा सरकारी योजनाओं के लिए लघु खनिजों के उपयोग हेतु मालिकाना फीस (Seigniorage Fee) लागू करने के संबंध में ।

प्रसंगः– संयोजक, राज्य स्तरीय अनुसूचित दर निर्धारण समिति–सह–अभियंता प्रमुख, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना का पत्रांक–51 (अनु0) दिनांक–02.12.2019, खान एवं भूतत्व, बिहार, पटना के पत्रांक–3174 दिनांक–17.09.2019 एवं 3947 दिनांक–15.11.2019

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि खान एवं भूतत्व, बिहार, पटना के प्रासंगिक पत्रों द्वारा कार्य विभागों में सरकारी परियोजनाओं के लघु खनिजों (यथा–बालु, पत्थर, मिट्टी इत्यादि) के उपयोग हेतु मालिकाना फीस (Seigniorage Fee) लागू करने से संबंधित निदेशों के आलोक में दिनांक–22.11.2019 को आहूत राज्य स्तरीय अनुसूचित दर निर्धारण समिति की बैठक में लिये गए निर्णय की कार्यवाही की छायाप्रति संलग्न करते हुए अनुरोध है कि उक्त निर्णय के अनुरूप प्राक्कलन में मालिकाना फीस (Seigniorage Fee) का प्रावधान एवं विपत्र से कटौती करने की कार्रवाई की जाय।

अनु0–यथोक्त्।

विश्वासभाजन

ह0/–
(अंजनी कुमार सिंह)
अध्यक्ष
विभागीय अनुसूचित दर निर्धारण समिति
–सह–अभियंता प्रमुख (मुख्यालय)
जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना

ज्ञापांक–599/ दिनांक–6-12-19/

प्रतिलिपिः– कार्यपालक अभियंता, योजना एवं मोनेटरिंग प्रमंडल संख्या–2,सह प्रभारी कम्प्यूटर कोषांग, जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना को संयोजक, राज्य स्तरीय अनुसूचित दर निर्धारण समिति–सह–अभियंता प्रमुख, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना का पत्रांक–51 (अनु0) दिनांक–02.12.2019 की छायाप्रति संलग्न करते हुए निदेशित किया जाता है कि इसे विभागीय बेवसाईट पर अपलोड किया जाय।

अनु0–यथोक्त्।

06/12/19

(अंजनी कुमार सिंह)
अध्यक्ष
विभागीय अनुसूचित दर निर्धारण समिति
–सह–अभियंता प्रमुख (मुख्यालय)
जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना

cd letter sor 2019

बिहार सरकार
राज्य स्तरीय अनुसूचित दर निर्धारण समिति
पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

E-mail ID-sorrcd2012@gmail.com

पत्रांक :– मु0नि0(पथ)– 02/2006 अंश–II 51(3189) पटना दिनांक :–02/12/2019

प्रेषक,

भवानी नन्दन,
संयोजक
राज्य स्तरीय अनुसूचित दर निर्धारण समिति
–सह–अभियंता प्रमुख,
पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

सेवा में,

1. **अभियंता प्रमुख,**
ग्रामीण कार्य विभाग–सह–सदस्य राज्य स्तरीय अनुसूचित दर निर्धारण समिति, बिहार, पटना।
2. **अभियंता प्रमुख (मुख्यालय),**
जल संसाधन विभाग–सह–सदस्य राज्य स्तरीय अनुसूचित दर निर्धारण समिति, बिहार, पटना।
3. **अभियंता प्रमुख,**
लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग–सह–सदस्य राज्य स्तरीय अनुसूचित दर निर्धारण समिति,बिहार, पटना।
4. **अभियंता प्रमुख,**
तकनीकी परीक्षण कोषांग, निगरानी विभाग–सह–सदस्य राज्य स्तरीय अनुसूचित दर निर्धारण समिति, बिहार, पटना।
5. **अभियंता प्रमुख,**
भवन निर्माण विभाग–सह–सदस्य राज्य स्तरीय अनुसूचित दर निर्धारण समिति, बिहार, पटना।
6. **अभियंता प्रमुख,**
लघु जल संसाधन विभाग–सह–सदस्य राज्य स्तरीय अनुसूचित दर निर्धारण समिति, बिहार,पटना।
7. **मुख्य अभियंता (असैनिक),**
बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कंपनी लिमिटेड–सह–सदस्य राज्य स्तरीय अनुसूचित दर निर्धारण समिति, बिहार, पटना।
8. **मुख्य अभियंता (विद्युत),**
भवन निर्माण विभाग–सह–सदस्य राज्य स्तरीय अनुसूचित दर निर्धारण समिति, बिहार, पटना।

विषय :– **राज्य स्तरीय अनुसूचित दर निर्धारण समिति द्वारा दिनांक–22.11.2019 की बैठक में लिये गये निर्णय से संबंधित कार्यवाही की प्रति के प्रेषण के संबंध में।**

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि दिनांक–22.11.2019 की बैठक में राज्य स्तरीय अनुसूचित दर निर्धारण समिति द्वारा लिये गये निर्णय की कार्यवाही की प्रति आवश्यक कार्रवाई हेतु समर्पित की जाती है।

अनु0–यथोक्त।

विश्वासभाजन,

(भवानी नन्दन)
संयोजक,
राज्य स्तरीय अनुसूचित दर निर्धारण समिति
–सह–अभियंता प्रमुख,
पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

अभियंता प्रमुख (मुख्यालय)
जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना
प्राप्ति सं0 3183
03/12/19

661
04-12-2019

F/AMIT-2019/LETTER-2019

दिनांक–22–11–2019 को आहूत राज्य स्तरीय अनुसूचित दर निर्धारण समिति की बैठक की कार्यवाही में लिये गये निर्णय :–

1. **कार्य विभागों द्वारा सरकारी योजनाओं के लिए लघु खनिजों के उपयोग हेतु मालिकाना फीस (Seigniorage Fee) लागू करने के संबंध में**–खान एवं भूतत्व विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक–कार्य विभाग/Seigniorage-11/19-3947/एम0, पटना दिनांक–15.11.2019 के द्वारा कार्य विभागों में सरकारी परियोजनाओं के लिए लघु खनिजों (यथा–बालू, पत्थर, मिट्टी इत्यादि) के उपयोग हेतु मालिकाना फीस (Seigniorage Fee) लागू करने से संबंधित मार्गदर्शिका प्राप्त हुई है, जिस पर राज्य स्तरीय अनुसूचित दर निर्धारण समिति, बिहार के सदस्यों द्वारा गहन विचार–विमर्श किया गया। खान एवं भूतत्व विभाग के उक्त पत्र (मार्गदर्शिका) एवं बिहार खनिज नियमावली, 2019 (खान एवं भूतत्व विभाग की अधिसूचना–3174/एम0, दिनांक–17.09.2019) के आलोक में समिति के सदस्यों द्वारा सम्यक् विचारोपरांत सर्वसम्मति से निम्नवत् निर्णय लिया गया है :–

(क) निर्माण कार्यों में व्यवहृत लघु खनिजों पर देय मालिकाना फीस उक्त खनिज के निर्धारित स्वामित्व (रॉयल्टी) दर के अतिरिक्त देय है।

(ख) कार्य विभागों द्वारा प्राक्कलन में लघु खनिज का मूल्य वैध खदान पर वर्त्तमान में प्रचलित खनिज मूल्य को रॉयल्टी सहित रखा जाय।

(ग) सभी सरकारी विभाग अपनी स्कीम या परियोजनाओं के लिए किसी लघु खनिज का उपयोग करने हेतु मालिकाना फीस की कटौती अपने आपूर्तिकर्त्ता या संवेदक से करेंगे।

(घ) मालिकाना फीस की कटौती प्राक्कलन में लगे वैध खदान पर रॉयल्टी सहित वर्त्तमान में प्रचलित खनिज मूल्य पर 10 प्रतिशत की दर से की जाय। इसमें अन्य मद यथा ढुलाई आदि को शामिल नहीं किया जाय।

(ङ) प्राक्कलन में मालिकाना फीस (Seigniorage Fee) का प्रावधान वैध खदान पर रॉयल्टी सहित वर्त्तमान में खनिज के मूल्य पर 10 (दस) प्रतिशत की दर से किया जाय। इसमें अन्य मद यथा ढुलाई आदि को शामिल नहीं किया जाय।

समिति द्वारा सम्यक विचारोपरांत सर्वसम्मति से प्राक्कलन में मालिकाना फीस का प्रावधान करने की प्रक्रिया निम्न प्रकार से अपनाने का निर्णय लिया गया :–

(i) दर–विश्लेषण में 10 (दस) प्रतिशत मालिकाना फीस (Seigniorage Fee) नहीं जोड़ा जाय।

(ii) Carriage, overhead charge (excluding VAT/GST), Contractor Profit, Royalty को जोड़कर प्रत्येक कार्य मद का दर निर्धारित किया जाय तथा इस निर्धारित दर के आधार पर परियोजना की प्राक्कलित राशि निर्धारित की जाय।

(iii) Work-Contracts के लिए उपरोक्त कंडिका–(ii) में निर्धारित प्राक्कलित राशि/कुल लागत (Labour Cess रहित) पर Contract Service tax/work contract G.S.T. का प्रावधान अधिसूचित/निर्धारित दर के अनुसार किया जाय।

(iv) उपरोक्त कंडिका (ii) में निर्धारित प्राक्कलित राशि (G.S.T. रहित) पर 1 प्रतिशत Labour Cess का प्रावधान निर्धारित मापदंडों के अनुसार किया जाय।

(v) उपरोक्त कंडिका (ii) में निर्धारित प्राक्कलित राशि (G.S.T. रहित एवं Labour Cess रहित) में सम्मिलित रॉयल्टी सहित Basic खनिज मूल्य (ढुलाई रहित) पर 10 (दस) प्रतिशत की दर से मालिकाना फीस (Seigniorage Fee) का प्रावधान अलग से किया जाय।

(vi) Bill of Quantity (B.O.Q.) में Work Value, GST Value, Labour Cess Value एवं मालिकाना फीस (Seigniorage Fee) Value का अलग–अलग उल्लेख किया जाय।

तत्संबंधी उदाहरण तालिका (Model Calculation Sheet) निम्न प्रकार है :–

(a) Estimated Amount (प्राक्कलित राशि) including Carriage, overhead charge (excluding VAT/GST), Contractor Profit, Royalty but excluding GST, Labour Cess & Seigniorage Fee ="A"

(b) Work Contract GST in Percentage ="Y" %

(c) Contract GST Amount $="B"=\frac{AY}{100}$

(d) Labour Cess@1% $="C"=A\times0.01$

(e) प्राक्कलन में सम्मिलित रॉयल्टी सहित लघु खनिज का Basic मूल्य (ढुलाई रहित) ="D"

(f) मालिकाना फीस (Seigniorage Fee)

रॉयल्टी सहित Basic लघु खनिज मूल्य पर 10 प्रतिशत की दर से $="E"=D\times0.10$

(g) Bill of Quantity (B.O.Q.)

Work Value	=A
GST Value	=B
Labour Cess	=C
Seigniorage Fee	=E

(च) वैध खदान से खनिज क्रय के समर्थन में संवेदक अपने विपत्रों के साथ खनन विभाग द्वारा निर्गत ई0 चालान की प्रति संलग्न करेंगें, जिसकी जाँच संबंधित कार्य विभागों द्वारा ही की जायेगी। विपत्रों के साथ खनिज क्रय के साक्ष्य स्वरूप ई0 चालान संलग्न नहीं किये जाने की स्थिति में संवेदकों के विपत्र से मालिकाना फीस के अतिरिक्त निर्धारित दर पर रॉयल्टी की वसूली भी कार्य विभागों द्वारा की जायेगी। साथ हीं नियमाधीन अन्य कार्रवाई हेतु ऐसे संवेदकों की पूर्ण सूची कार्य विभागों द्वारा खान एवं भूतत्व विभाग को उपलब्ध कराया जायेगा।

(छ) साधारण मिट्टी निजी जमीन अथवा सरकारी भूमि से प्राप्त करने की स्थिति में बिहार खनिज (समानुदान अवैध खनन, परिवहन एवं भंडारण निवारण) नियमावली, 2019 के सारे प्रावधान लागू होंगे।

(ज) निजी/सरकारी भूमि से नियमानुसार साधारण मिट्टी प्राप्त करने की स्थिति में व्यवहृत मिट्टी के संबंध में संवेदक द्वारा समर्पित विपत्र के साथ खान एवं भूतत्व विभाग द्वारा निर्गत परमिट साक्ष्य स्वरूप संलग्न रहने की स्थिति में सत्यापनोपरांत सिर्फ स्वामित्व की 10 प्रतिशत मालिकाना फीस के रूप में वसूली की जायेगी। जिन विपत्रों के साथ खान एवं भूतत्व विभाग द्वारा निर्गत परमिट संवेदक साक्ष्य स्वरूप विपत्रों के साथ संलग्न नहीं किये होगें या सत्यापनोपरांत गलत पाये जायेगें तो वैसी स्थिति में प्रतिघनमीटर वर्त्तमान स्वामित्व दर 33/रू0 के अलावे 10 प्रतिशित मालिकाना फीस 3.30/– रू0 की कटौती संवेदक के विपत्र से की जायेगी एवं नियमाधीन अन्य कार्रवाई हेतु ऐसे संवेदकों की पूर्ण सूची कार्य विभागों द्वारा खान एवं भूतत्व विभाग को उपलब्ध कराया जायेगा।

P.T.O.

(झ) बिहार खजिन नियमावली, 2019 के नियम 37 (2) में सिंचाई विभाग द्वारा नहर तथा जल निकास प्रणाली के संधारण की प्रक्रिया में निष्कासित खनिजों के लिए खनिज निपटाव परमिट, लघु खनिजों के विनिर्दिष्ट दरों पर रॉयल्टी के पूर्व भुगतान पर दिये जाने का प्रावधान है। साथ हीं उक्त नियमावली के नियम 37 (3) में विनिर्दिष्ट आपात स्थितियों के लिए समाहर्त्ता द्वारा लघु खनिजों के विनिर्दिष्ट दरों पर रॉयल्टी के पूर्व भुगतान पर परमिट दिये जाने का प्रावधान है। ऐसी स्थिति में संवेदक द्वारा समर्पित विपत्र के साथ खान एवं भूतत्व विभाग द्वारा निर्गत परमिट साक्ष्य स्वरूप संलग्न रहने की स्थिति में सत्यापनोपरांत सिर्फ स्वामिस्व की 10 प्रतिशत मालिकाना फीस के रूप में वसूली की जायेगी। जिन विपत्रों के साथ खान एवं भूतत्व विभाग द्वारा निर्गत परमिट संवेदक द्वारा साक्ष्य स्वरूप विपत्रों के साथ संलग्न नहीं किये होंगें या सत्यापनोपरांत गलत पाये जायेगे तो वैसी स्थिति में स्वामित्व एवं मालिकाना फीस की वूसली की जायेगी।

2. अन्यान्य :–

(a) **<u>माननीय उच्च न्यायालय,पटना के CWJC No.-12823 of 2019 SRMB Srijan Pvt. Ltd. V/s The state of Bihar & Others से संबंधित Supplementary Affidavit हेतु Statment of Fact के संबंध में</u>** :–समिति के सदस्यों द्वारा सम्यक् विचारोपरांत सर्वसम्मति से CWJC No.-12823 of 2019 SRMB Srijan Pvt. Ltd. V/s The state of Bihar & Others में Supplementary Affidavit हेतु Statment of Fact को अनुमोदित करने का निर्णय लिया गया।

22/11/19
सदस्य
राज्य स्तरीय अनुसूचित दर निर्धारण समिति–सह–अभियंता प्रमुख, भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

22/11/19
सदस्य
राज्य स्तरीय अनुसूचित दर निर्धारण समिति–सह–अभियंता प्रमुख, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना

22.11.19
सदस्य
राज्य स्तरीय अनुसूचित दर निर्धारण समिति–सह–अभियंता प्रमुख, लघु जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना

सदस्य
राज्य स्तरीय अनुसूचित दर निर्धारण समिति–सह–मुख्य अभियंता (असैनिक) बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कंपनी लि0, बिहार, पटना

22/11/19
सदस्य
राज्य स्तरीय अनुसूचित दर निर्धारण समिति–सह–मुख्य अभियंता, (विधुत) भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना

22.11.19
सदस्य
राज्य स्तरीय अनुसूचित दर निर्धारण समिति–सह–अभियंता प्रमुख, तकनीकी परीक्षण कोषांग, निगरानी विभाग, बिहार, पटना

22/11/19
सदस्य
राज्य स्तरीय अनुसूचित दर निर्धारण समिति–सह–अभियंता प्रमुख, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, बिहार, पटना

22/11/19
सदस्य
राज्य स्तरीय अनुसूचित दर निर्धारण समिति–सह–अभियंता प्रमुख, मुख्यालय जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना।

संयोजक
राज्य स्तरीय अनुसूचित दर निर्धारण समिति–सह–अभियंता प्रमुख, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

बिहार सरकार

जल संसाधन विभाग ।

आदेश

आदेश संख्या–1/पी0एम0सी0/विविध/879/2012–200 /पटना, दिनांक– 14/03/2016

राज्य सरकार द्वारा सभी कार्य विभागों में दो करोड़ रुपये से अधिक की लागत के कार्यों हेतु मानक बिडिंग डोक्यूमेंट (SBD) की स्वीकृति दी गई है। विभाग द्वारा तैयार की जा रही निविदा दस्तावेजों एवं इसके आधार पर आमंत्रित निविदाओं के निष्पादन के दौरान यह पाया गया है कि SBD के प्रावधानों, विशेषकर Qualification Criteria का भिन्न–भिन्न तरह से Interpretation किया जा रहा है। फलस्वरुप निविदा दस्तावेजों में एकरुपता नहीं रहती है। योजनाओं की प्रगति की समीक्षा के दौरान यह पाया जा रहा है कि एस0बी0डी0 के विभिन्न कंडिकाओं में वर्णित Contractual provisions को लागू करने हेतु मार्गदर्शी सिद्धान्त की अनुपलब्धता के कारण कठिनाई उत्पन्न हो रही है। इसका कुप्रभाव योजनाओं की प्रगति पर हो रहा है एवं परिवादों की भी संख्या में बढ़ोत्तरी हो रही है। उक्त परिप्रेक्ष्य में Contract Management से संबंधित निम्न विषयों पर निम्नवत् व्याख्या करते हुए मार्गदर्शी सिद्धान्त प्रतिपादित किए जा रहे हैः–

1. Experience of executed quantity of works

1.1 SBD Section 1 ITB के कंडिका 4.5 (A)(c) के अधीन जल संसाधन विभाग के कार्यों के लिए मात्र निम्नलिखित कार्यों हेतु अनुभव प्रमाण पत्र की मांग की जायः–

I. Earth Work (Excavation, Filling , Back Filling etc. का combined quantities in M^3)

II. Cement Concrete (P.C.C., R.C.C., P.S.C, etc. का combined quantities in M^3)

III. Protection works (Pitching/ Crating/ Soling with Boulder/Brick/Geo-bag/E.C.bag/Nylon crates/Gabians etc. का combined quantities in M^3)

IV. Masonary Works (Boulder,Brick, etc. का combined quantities in M^3)

V. Non Bituminous Work (GSB/WMM/WBM------ in M^3)

VI. Bituminous Work (DBM/BM/SDBC/BC/PMC---------- in M^3)

VII. Sheet pile (Only for Dam, Barrage & Weir, quantity in MT)

उपर्युक्त के अतिरिक्त अन्य किसी कार्य मद के अनुभव की मांग नहीं की जाय।

उपर्युक्त कंडिका I से VII में अंकित सभी निविदित मुख्य मदों के विरूद्ध अंकित विभिन्न कार्य मद उस कंडिका विशेष के लिए समतुल्य माने जायेंगे।

इस संबंध में पूर्व निर्गत विभागीय पत्रांक 81 दिनांक 02.02.2012 को तत्कालिक प्रभाव से निरस्त किया जाता है।

1.2 SBD Section 1 ITB के कंडिका 4.5 (A)(c) के अधीन Expected peak rate of construction की गणना वर्षवार की जाय। तत्पश्चात् संवेदकों की अधिक भागीदारी सुनिश्चित करने हेतु Expected peak rate of construction का 40 प्रतिशत (शीट पाईल को छोड़कर) ही किसी एक वित्तीय वर्ष के लिए कार्यानुभव के रुप में मांगी जाय। उदाहरण स्वरुप– यदि सीमेंट कंक्रीट का कार्य एक वर्ष से अधिक अथवा दो वर्षों में 50000 घन मीटर पूर्ण किया जाना है तो एक वर्ष में किये जाने वाले कार्य की मात्रा 25000 घन मीटर होगी एवं G.Appendix 2 ITB के कंडिका 5 में कार्यानुभव के रुप में न्यूनतम वांछित मात्रा 25000 घन मीटर का 40 प्रतिशत 10000 घन मीटर होगी। यदि किसी कार्य को एक वर्ष या एक वर्ष के अन्दर पूर्ण किया जाना है तो BOQ में प्रावधानित कार्य मदवार मात्रा का 40 प्रतिशत कार्यानुभव के रुप में न्यूनतम वांछित मात्रा होगी। शीट पाईल के मामले में Expected peak rate of construction का 25 प्रतिशत ही किसी एक वित्तीय वर्ष के लिए कार्यानुभव के रुप में मांगी जाय।

2. **Availability of key and Critical Equipments**

2.1 SBD Section 1 ITB कंडिका 4.5 (B)(a) के अधीन बीडर को key and critical equipments for the work का availability(either owned or leased or by procurement against mobilisation advances) संबंधी प्रमाण पत्र दिया जाना है। इस प्रावधान की व्याख्या निम्न है:–

बीडर द्वारा निविदा में वांछित key and critical equipments की उपलब्धता के संबंध में owned संबंधी प्रमाण पत्र के अधीन मशीन के स्वामित्व का प्रमाण पत्र संलग्न करना होगा। लीज की स्थिति में लीज एग्रीमेन्ट के साथ–साथ लीज करने वाले फर्म/व्यक्ति के पास मशीन के स्वामित्व संबंधी प्रमाण पत्र संलग्न किया जाना होगा। Procurement against mobilisation advances संबंधी प्रमाण पत्र के अधीन वॉछित key and critical equipments के कोटेशन के साथ–साथ अधिकृत डीलर से यह प्रमाण पत्र प्राप्त कर संलग्न करना होगा कि एकरारनामा के एक महीने के अन्दर वॉछित key and critical equipments की कार्य स्थल पर आपूर्ति कर दी जायेगी।

2.2 इसी प्रकार कार्य विशेष में प्रयुक्त होने वाले मात्र निम्न Critical Equipments में से ही Availability की मांग की जाय:–

1. Concrete batching and mixing plant
2. Concrete mixes with integral weigh batching facility
3. Paver finisher with electronic sensor
4. Dozer
5. Motor Grader
6. Vibratory roller / Smooth wheeled /sheep foot roller
7. Fully computerized Hot Mix plant with electronic sensors
8. Pocklain/ Excavator/ Front End Loader or any other loading mechine
9. Sheet pile driving equipment
10. Long boom Hydraulic crane
11. Concrete Rock Cutter
12. Tractor/ Tipper/Dumper

उक्त के अतिरिक्त अन्य किसी मशीन के availability की मांग नहीं की जाय।

2.3 एस0बी0डी0 के सेक्सन–1 एनेक्सचर–। List of key and critical equipments में Max age as on .....(years) के कॉलम में पॉच वर्ष अंकित किया जाय। इस संबंध में संवेदक को यह शपथ पत्र संलग्न करना होगा कि उनके द्वारा owned/ lease पर उपलब्ध मशीन का age पॉच वर्ष से अधिक नहीं है।

3. SBD Section 1 ITB कंडिका 4.5 (B)(b) के अधीन बीडर को availability for this work of personnel with adequate experience as required

as per annexure-II की व्याख्या निम्नवत की जाती है:–

Sl.No.	personnel	Qualification	contract package size						
			Rs. 5-30 Lacs	Rs. 30-70 Lacs	Rs. 70 Lacs to 2 crores	Rs. 2-10 crores	Rs. 10-30 crores	Rs. 31-50 crores	more than 50 crores
1	Project Manager	BE Civil+10years experienc(5years as manager) or retired EE					1	1	1
2	Site Engineer	BE Civil+7years experienc(3years experience of irrigation works) or retired AE			1	1	1	2	4
3	Quantity surveyor	BE Civil+5years experienc or Dip. civil +07 years experience						1	2
4	Survey Engineer	BE Civil+3years experienc or Dip. civil +07 years experience						1	2
5	Site Supervisor	Fresh Graduate in civil or Diploma civil +03years Exp. or retired I.T.I Holder.		1	1	1	2	3	4

कार्य की परिमाण विपत्र के आधार पर उक्त विवरणी के अनुरूप ही टेकनीकल पर्सनल की आवश्यकता की मांग की जाय।

4. **<u>निविदा निस्तार की प्रकिया एवं Clarification & Modification</u>**

जल संसाधन विभाग के पत्रांक 536 दिनांक 13.06.13 तथां 686 दिनांक 19.08.2014 के माध्यम से 2.00 करोड़ रूपये से अधिक लागत वाले कार्यों के लिए एस0बी0डी0 के आधार पर प्राप्त निविदा के तकनीकी बीड के निष्पादन हेतु विभागीय दिशा–निर्देश निर्गत किये गये हैं। इन दिशा–निर्देशों में निविदाओं के निष्पादन में एस0बी0डी0 आधारित निविदाओं के तकनीकी बीड में सफल होने के लिए Eligibility Criteria को प्रथम प्रकम एवं द्वितीय प्रकम में वर्गीकृत किया गया है। फलस्वरूप निविदाओं के निष्पादन में अनावश्यक विलम्ब होता है एवं भ्रम की स्थिति बनती है। अतः एस0बी0डी0 के सेक्सन–1 ITB में वर्णित Criteria के अनुरूप ही निविदाओं का निष्पादन किया जाय। इस दृष्टिकोण से निविदा निष्पादन की प्रथम एवं द्वितीय प्रकमों की व्यवस्था को समाप्त किया जाता है। उक्त वर्णित जल संसाधन विभाग के पत्रांक 536 दिनांक 13.06.13 तथां 686 दिनांक 19.08.2014 को उक्त हद तक संशोधित माना जाय।

इसी प्रकार SBD के Section I, ITB कंडिका 22.4 (ii) के अनुरुप बिडर से Clarification & Modification प्राप्त करने की व्यवस्था है। इस संबंध में पथ निर्माण विभाग के पत्रांक 6158 दिनांक 09.07.2014 की कंडिका 5.2 में Clarification & Modification के क्रम में सिर्फ उन्हीं कागजातों/अभिलेखों की मान्यता दी जानी है, जो निविदा प्राप्ति के पूर्व के होंगे एवं निविदा के साथ अपलोड होंगे। इसका तात्पर्य यह है कि जो अभिलेख अपलोडेड हैं, उन्हीं के आधार पर निविदा निस्तार किया जाना है। यदि अपलोडेड कागजात अस्पष्ट एवं अपठनीय है तो Clarification & Modification प्राप्त कर निर्णय लिया जाय, परंतु यदि किसी निविदाकार द्वारा SBD Section 1 ITB, G-Appendix to ITB, Section 2 Qualification Information में दिये गये निदेशों एवं विहित प्रपत्र में वांछित सूचनाऐं एवं तत्संबंधी अभिलेख संलग्न नहीं किये जाते है तो उनके संबंध में Clarification & Modification की आवश्यकता नहीं होगी एवं उपलब्ध कागजातों के आधार पर ही निर्णय लिया जायेगा। इस आशय की सूचना निविदा आमंत्रण सूचना में ही सन्निहित कर दी जाय।

5. **Rate of indexing**

निविदा के साथ संलग्न Annual Turn Over, Value of Existing Commitments and ongoing works एंव अन्य Financial Figures को 8 प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से Indexing किया जाय।

6. **Contract Data and other informations**

6.1 SBD Section 1 G.Appendix to ITB Serial No.1 में Name of Employer संबंधित कार्यपालक अभियंता एवं SBD Section 4 Contract Data Schedule F में इंजीनियर इन्चार्ज संबंधित कार्यपालक अभियंता ही होगें।

6.2 SBD Section 3 Conditions of Contract के कंडिका 8.2 में प्रावधानित Accepting Authority वही होंगे जिनके स्तर पर निविदा का निस्तार किया गया है, यानि निविदा दस्तावेजों/ परिमाण विपत्र में Discrepancy होने पर जिस स्तर पर निविदा का निस्तार हुआ है, वही इसके संबंध में समुचित निर्णय लेने हेतु सक्षम प्राधिकार होंगे ।

7. **Recoveries**

SBD की कंडिका 29, 29A, 53 के प्रावधानों को स्पष्ट करते हुए कहना है कि यदि किसी जॉच/अंकेक्षण के कम में यह पाया जाता है कि संवेदक के द्वारा Unsound एवं निम्न विशिष्टि का कार्य किया गया है अथवा संवेदक को अधिकाई भुगतान किया गया है एवं इस कम में राज्य सरकार द्वारा कटौती का निदेश निर्गत किया जाता है, तो एस0बी0डी0 के Clauses of Contract कंडिका 16 एवं Contract Data Schedule F के अनुसार संबंधित अधीक्षण अभियंता जो Reduced rate के निर्धारण हेतु सक्षम प्राधिकार हैं, के अनुमोदनोपरान्त माप पुस्तिका में इन्ट्री कर उस कार्य के चालू विपत्र, अंतिम विपत्र, जमानत की राशि अथवा उस संवेदक द्वारा विभाग में कराये जा रहे अन्य किसी कार्य के चालू विपत्र, अंतिम विपत्र, जमानत की राशि से एक मुश्त वसूली कर ली जायेगी। यदि उक्त प्रावधानों के तहत वसूली संभव नहीं है तो न्यायालय में मनी सूट दायर कर वसूली की कार्रवाई की जाय। उक्त कार्रवाई हेतु एकरारनामा के इंजीनियर इंचार्ज/संबंधित कार्यपालक अभियंता प्राधिकृत रहेंगे।

8. उक्त प्रस्ताव पर माननीय मंत्री, जल संसाधन विभाग, बिहार का अनुमोदन प्राप्त है।

(योगेश्वरधारी सिंह)
संयुक्त सचिव(अभियंत्रण)

ज्ञापांक—1/पी0एम0सी0/विविध/879/2012— 200 /पटना, दिनांक— 14/03/2016

प्रतिलिपि अभियंता प्रमुख (दक्षिण)/ अभियंता प्रमुख (उत्तर)/ अपर सचिव, जल संसाधन विभाग, पटना/ विशेष कार्य पदाधिकारी, जल संसाधन विभाग/मुख्य अभियंता, योजना एवं मोनिटरिंग/ संयुक्त सचिव (अभियंत्रण)/ संयुक्त सचिव (प्रबंधन)/ सभी मुख्य अभियंता, (यॉत्रिक सहित) जल संसाधन, बिहार/ निदेशक, वाल्मी/संयुक्त निदेशक, एफ0एम0आई0एस0सी0/अधीक्षण अभियंता, योजना एवं मोनिटरिंग अंचल—1/2/3/4 एवं अधीक्षण अभियंता, बाढ़ नियत्रंण योजना एवं मोनिटरिंग अंचल/अधीक्षण अभियंता, उड़नदस्ता अंचल/ उप सचिव, काडा/आई0टी0 मैनेजर, जल संसाधन विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

14.3.16

(योगेश्वरधारी सिंह)
संयुक्त सचिव(अभियंत्रण)

ज्ञापांक—1/पी0एम0सी0/विविध/879/2012— 200 /पटना, दिनांक— 14/03/2016

प्रतिलिपि माननीय मंत्री, जल संसाधन विभाग के आप्त सचिव/ प्रधान सचिव, जल संसाधन विभाग के आप्त सचिव को सूचनार्थ समर्पित।

14.3.16

(योगेश्वरधारी सिंह)
संयुक्त सचिव(अभियंत्रण)

पत्रांक-1/पी0एम0सी0/विविध/629/2003-...536.../

बिहार सरकार

जल संसाधन विभाग

प्रेषक,

ई0एस0के0चटर्जी

संयुक्त सचिव (अभियंत्रण)।

सेवा में,

सभी मुख्य अभियंता (यांत्रिक सहित),

जल संसाधन विभाग, बिहार।

पटना, दिनांक 13/06/2013

विषय.- दो करोड़ रूपये से अधिक लागत वाले कार्यों के SBD के आधार पर प्राप्त निविदा के तकनीकी बीड के निष्पादन हेतु निर्गत विभागीय दिशा-निर्देश के संबंध में।

प्रसंग - विभागीय पत्रांक-1/पी0एम0सी0/विविध/629/2003-335 पटना, दिनांक 06.03.2009

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक विभागीय पत्र द्वारा एक करोड़ रूपये एवं इसके उपर के कार्यों के लिए SBD के आधार पर प्राप्त होने वाले निविदाओं के तकनीकी बीड के निष्पादनार्थ विभागीय मार्गनिर्देश पूर्व से निर्गत है। इस निर्गत मार्गनिर्देश के आलोक में निविदाओं के तकनीकी बीड के निष्पादन में कठिनाईयों एवं प्राप्त होने वाले परिवादों के मद्देनजर तथा बिहार लोक निर्माण संहिता के कतिपय कंडिकाओं में पुनरीक्षण हो जाने के कारण विभागीय स्तर से पूर्व में निर्गत दिशानिर्देश में संशोधन की आवश्यकता महसूस की जा रही है।

2 विभागीय स्तर पर सम्यक समीक्षोपरान्त यह निर्णय लिया गया कि SBD के आधार पर दो करोड़ रूपये से उपर के कार्यों के लिए प्राप्त होने वाले निविदाओं के निष्पादन में निम्न प्रक्रिया अपनायी जाए:-

(क) <u>प्रथम प्रक्रम</u>:- यह प्रक्रम निविदाओं के तकनीकी बीड में सफल होने के लिए अनिवार्य होगी। इस प्रक्रम पर असफल पाये जाने वाले निविदाकारों के तकनीकी बीड प्रारंभ में अस्वीकृत होगा एवं किसी भी हालत में विचारणीय नहीं होगा। इस प्रक्रम में निम्न बिन्दु सम्मिलित होंगे:-

(i) Registration (IFB & NIT)

(ii) Earnest Money (ITB-cl-16 & IFB)

(iii) Experience: Similar Nature of Work Executed {ITB-cl-4.5(A) (b)}

(Financial value)

(iv) Turn Over {ITB-cl-4.5(A) (a)}

(v) Legal Identity-Affidavit {Section 2-sl-2.1(i)}

(ख) <u>द्वितीय प्रक्रम:-</u> इस प्रक्रम पर SBD के तहत eligibility criteria के निम्नांकित बिन्दुओं के संबंध में निविदाकारों को Clarification & Modification का अवसर दिया जायेगा एवं इस क्रम में उन्हीं कागजातों/अभिलेखों की मान्यता दी जाएगी जो निविदा प्राप्ति की तिथि के पूर्व के होंगे। निविदा प्राप्ति के बाद की तिथि के कागजातों/अभिलेखों की अनुमान्यता किसी भी हालत में नही दी जाएगी।

(i) Technical Personnel {ITB-Cl- 4.5 (B)(b)}
(ii) Key Plant & Equipment {ITB-Cl 4.5 (B) (a)}
(iii) Experience in terms of quantity {ITB-Cl 4.5 (A) (c)}
(iv) Bid capacity {ITB-Cl 4.7}
(v) Programme of construction {ITB-Cl 4.3& 4.5 (B) (a)}
(vi) Labour License
(vii) Power of Attorney {ITB Cl- 4.2(iv)}
(viii) Liquid asset & Credit Facility

(ग) Litigation History, Investment Ability, Tender validity Period एवं Non association with departmental officials के अन्तर्गत SBD के प्रावधानों को पूरा करने/ पालन करने में जॉच की आवश्यकता नहीं होगी । यदि कोई संवेदक निविदा देता है (डालता है) तो यह माना जाएगा कि वे इन शर्तो को पूरा करते हैं । यदि बाद में पता चलता है कि वे इन शर्तो को पूरा नहीं करते है तो इसके आधार पर उन्हें किसी प्रकार की छूट नहीं दी जाएगी, बल्कि इसके लिए उनके विरूद्ध विभाग में लागू निबंधन नियमावली के अन्तर्गत कार्रवाई किया जा सकेगा ।

(घ) Proposal of Sub-Contract {ITB-Cl-4.2(iii)} :- जब सम्वेदक प्राक्कलित राशि के 10 प्रतिशत से अधिक राशि के कार्यांश को किसी एक सब-कन्ट्रैक्टर से कराने का प्रस्ताव देता है तो सब-कन्ट्रैक्टर के योग्यता आदि की जॉच करनी होगी। यदि सब-कन्ट्रैक्टर की योग्यता से विभाग संतुष्ट नहीं हो पाता है तो सम्वेदक को अपना प्रस्ताव वापस लेना होगा एवं उस भाग के कार्य को भी निविदादाता को स्वयं करने को तैयार होना पड़ेगा अन्यथा माना जायेगा कि निविदादाता कार्य कराने से भाग रहे हैं एवं उनका Earnest Money जब्त कर लिया जायेगा।

(च) Joint Venture :- Joint Venture के रूप में निविदा में भाग लेने हेतु पथ निर्माण विभाग के ज्ञापांक प्रो0-6/नियम-02/2010-8131(S) पटना दिनांक 24.07.2012 में अंकित शर्तो (परिशिष्ट-I) का अनुपालन करना अनिवार्य होगा।

(छ) निविदा आमंत्रण सूचना में एकरूपता रखने के उद्देश्य से निविदा आमंत्रण सूचना का Model Draft परिशिष्ट- (2) के रूप में संलग्न है।

(ज) एस0बी0डी0 के section-2 के तहत शपथ (Affidavit) संलग्न करने हेतु संशोधित शपथ पत्र (Affidavit) प्रारूप परिशिष्ट (3) के रूप में संलग्न है।

(झ) कार्यानुभव के तहत Common एवं Major Item of work के लिए ही अनुभव की मांग की जाए ना कि Minor Item के लिए ।

उपरोक्त वर्णित मार्गनिर्देशों को आमंत्रित निविदाओं की शर्तों में शामिल करने हेतु सभी मुख्य अभियंता अपने-अपने प्रक्षेत्रों में सुनिश्चित करेंगे। यह दिशा निर्देश निर्गत तिथि से लागू मानी जाएगी। प्रासंगिक पत्र से निर्गत मार्गनिर्देश की अन्य कंडिकाएँ विलोपित समझा जाए।

अनु: यथोक्त।

विश्वासभाजन

13/6/2013

(एस0के0चटर्जी)

संयुक्त सचिव (अभियंत्रण)

ज्ञापांक- 536 पटना, दिनांक - 13.06.2013

प्रतिलिपि अभियंता प्रमुख (उत्तर/मध्य)/सभी अधीक्षण अभियंता, योजना एवं मोनिटरिंग संगठन/अधीक्षण अभियंता, उड़नदस्ता अंचल, जल संसाधन विभाग, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

13/6/2013

(एस0के0चटर्जी)

संयुक्त सचिव (अभियंत्रण)

Node 2/Desktop Anil.EE/ J S.Latter

परिशिष्ट-1

बिहार सरकार
पथ निर्माण विभाग

पत्रांक–प्र0–6/नियम–02/2010 – 8131 (S)/पथ पटना, दिनांक 24.7.12

प्रेषक,

प्रत्यय अमृत
सचिव,

सेवा में,

प्रधान सचिव/सचिव, बिहार, पटना।
जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना।
ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना।
भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना।
लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, बिहार, पटना।
नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार, पटना।
योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना।
निगरानी विभाग, बिहार, पटना।
लघु जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना।
ऊर्जा विभाग, बिहार, पटना।

विषय :– Standard Bidding Document आधारित निविदाओं में Joint Venture के रूप में भाग लेने हेतु Joint Venture के शर्त्तो के उपबंध के संबंध में।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय पर आपका ध्यान आकृष्ट करते हुए कहना है कि राज्य में लागू Standard Bidding Document के Instruction to Bidders Chapter के कंडिका–4.4 में रुपये 10.00 करोड़ से अधिक प्राक्कलित राशि के निविदाओं में संवेदकों द्वारा Joint Venture के रूप में भाग लेने का प्रावधान है । किन्तु Joint Venture के लिए Criteria एवं Guideline का उपबंध नहीं होने के कारण इसके कार्यान्वयन हेतु मार्गदर्शन की अपेक्षा की जाती रही है ।

तदनुसार सम्यक विचारोपरांत एवं सरकार के अनुमोदनोंपरांत Standard Bidding Document में Joint Venture के लिए सामान्य Criteria एवं Guideline तथा Format for joint venture agreement का प्रावधान निम्नवत् किया जाता है :–

Criteria for Joint venture participating in the bids for procurement of civil works.

1. Bids from joint venture are only allowed for the works having estimated cost more than 10.00 cr. Bids submitted by a joint venture (JV) of not more than a total of three firms as partners shall comply with the following requirements :-

1.1 There shall be a Joint Venture Agreement (Refer Annexure 1) specific for the contract package between the constituent firms, indicating clearly, amongst other things, the proposed distribution of responsibilities both financial as well as technical for execution of the work amongst them. For the purpose of this clause, the most experienced lead partner will be the one defined. A copy of the Joint Venture agreement in accordance with requirements mentioned in Annexure-I shall be necessarily submitted with the bid.

1.1.1 Alternatively, a letter of intent to execute a JV in the event of successful bid shall be signed by all partners of JV and submitted with the bid together with a copy of the proposed agreement. Pursuant to the foregoing, the JV shall include among other things, the joint venture's objectives, the proposed management structure, the contribution of each partner to joint venture operation, the commitment of the partners to joint and several liability for due performance, recourse/sanctions within the joint venture in the event of default or withdrawal of any partner and arrangements for providing the required indemnities.

1.1.2 The JV so formed shall also have to be registered with the concerned department after issue of LOA but before the agreement.

1.2 The bid, and in the case of the successful bidder, the form of agreement, etc, shall be signed and /or executed in such a manner as may be required for making it legally binding on all partners (including operative parts of the ensuing contract in respect of Agreement of Arbitration, etc). On award of work, the Form of Agreement and Contract Documents shall be signed by all partners of the Joint Venture to conclude Contract Agreement.

1.3 Lead partner shall be nominated as being partner-in-charge; and this authorization shall be evidenced by submitting a power of attorney signed by the legally authorized signatories of all the partners.

1.4 The partner-in-charge shall be authorized to incur liabilities and to receive instruction for and on behalf of the partners of the Joint venture, whether jointly or severally and entire execution of the Contract (including payment) shall be carried out exclusively through the partner-in-charge. A copy of the said authorization shall be furnished with the bid.

1.5 All partners of the Joint Venture shall be liable jointly and severally for the execution of the contract in accordance with contract terms, and a relevant statement to this effect shall be included in the authorization mentioned under sub clause (1.3) above as well as in the Form of tender and the Form of Agreement (in case of a successful bidder).

1.6 In the event of default, all the partners of the Joint venture will retain the full and undivided responsibility for the performance of their obligations under the contract and/or for satisfactory completion of the works.

1.7 The bid submitted shall include all the relevant information as required under the provisions of sub-clause 4.5 of ITB and furnished separately for each partner. The requirement of key plants & equipments construction equipments as per Annexure I of SBD testing equipment for establishing field laboratory key personnel to be employed on contract work as per Annexure II of SBD shall be counted altogether for the partners it shall be less than the requirement.

1.8 The bank guarantee/other suitable instrument in shape of bid security shall be issued in the name of JV and pledged in favor of employer.

2. Each partner of the JV must produce:

2.1 The Permanent account number (PAN) of Income Tax

2.2 An affidavit though 1st class Executive Magistrate that the information furnished with the bid documents is correct in all respect; and

2.3 Such other certificates as defined in the Appendix to ITB. Failure to produce the certificates shall make the bid non-responsive.

3. Each bidder must demonstrate:-

3.1 Availability for construction work, either owned, or o lease or on hire, of the key equipment stated in th Appendix to ITB including equipments required fo establishing field laboratory to perform mandatory test and those stated in the Appendix to ITB. The requiremen of key plants & equipments construction equipments a per Annexure I of SBD testing equipment for establishin field laboratory key personnel to be employed or contract work as per Annexure II of SBD shall be counte altogether for the partners it shall be less than the requirement.

3.2 Availability for construction work of technical personne as stated in the Appendix to ITB. The requirement of key plants & equipments construction equipments as per Annexure I of SBD testing equipment for establishing field laboratory key personnel to be employed on contract work as per Annexure II of SBD shall be counted altogether for the partners it shall be less than the requirement.

3.3 The joint venture must satisfy collectively the criteria laid down in para 3.1 & 3.2 above.

3.4 Liquid assets and/or credit facilities, net of other contractual commitments and exclusive of any advance payments which may be made under the Contract, of no less than the amount specified in the Appendix to ITB.

3.5 The bidder must not have in his employment.

3.5.1 The near relations (defined as first blood relations, and their spouses, of the bidder or the bidder's spouse) o persons. The bidder must produce an affidavit statin that the near relations of the following departmenta officers are not in his employment:
JE/AE/EE/SE/CE/E-in- C & Divisional Accountant of an works department of Bihar State.

3.5.2 Without Government permission, any person who retired as gazetted officer within the last two years of the rank and from the departments. The bidder must produce an affidavit stating the names of retired gazetted officer (if any) in his employment who retired within the last two years with the following ranks from the departments listed below:

JE/AE/EE/SE/CE/E-in-C & Divisional Accountant of any works department of Bihar State.

In case there is no such person in his employment, his affidavit should clearly state this fact.

4. To qualify for a package of contracts made up of this and other contracts for which bids are invited in the Notice Inviting Tender, the bidder must demonstrate having experience and resources sufficient to meet the aggregate of the qualifying criteria for the individual contract.

5. If bidder is Joint venture, the partners would be limited to three (including lead partner). Joint venture firm shall jointly and severally responsible for completion of the project. Joint venture must fulfil the following minimum qualification requirement.

5.1 **The lead partner shall meet not less than 50% (fifty percent)** of qualification criteria given in sub-clause 4.2, 4.5 A, 4.5 B, 4.7 & 4.8 of ITB.

5.2 Each of the remaining partners shall meet not less than **25% (Twenty five percent)** of all the qualifying criteria given in sub-clause 4.2, 4.5 A, 4.5 B, 4.7 & 4.8 of ITB.

5.3 However in case one of the joint ventures partner is proposed to be included primarily to provide financial strength to the joint venture, such joint venture partner shall have to commit to provide liquidity support to the project to the extent of 10 % of the value of contract.

5.4 The joint venture must also collectively satisfy the subject of the criteria of clause 4.2, 4.5 A, 4.5B, 4.7 and 4.8 of ITB for this purpose the relevant figures for each of the partners shall be 100% or more.

5.5 In the event that the Employer has caused to disqualify under clause 4.8 of ITB and the constitutions stated below all of the Joint Venture partners will be disqualified.

5.6 Joint venture applicants shall provide a certified copy of the Joint venture Agreement in demonstration of the partners undertaking joint and several liabilities for the performance of any contract entered into with the bid.

5.7 The available bid capacity of the JV as required under clause 4.7 of ITB below will be applied for each partner to the extent of his proposed participation in the execution of the work. The total bid capacity available shall be more than estimated contract value.

The available bid capacity will be calculated as under

Assessed Available Bid capacity = (A*N*M-B)

Where

A = Maximum value of civil engineering works executed in any one year during the last five years (updated to the price level of the last year at the rate of 8 percent a year) taking into account the completed as well as works in progress.

N = Number of years prescribed for completion of the works for which bids are invited.

M = 3

B = value, at the current price level, of existing commitments and on-going works to be completed during the period of completion of the works for which bids are invited.

Note: The statements showing the value of existing commitments and on-going works as well as the stipulated period of completion remaining for each of the works listed should be countersigned by the Engineer in charge, not below the rank of an Executive Engineer or equivalent.

6. Sub-Contractor's (duly authorized) experience and resources shall be taken into account in determining the bidder's compliance with the qualifying criteria. The sub contractor's role may be verified by the employer.

7. Qualification of a joint venture does not necessarily qualify any of its partners individually or as a partner to any other joint venture. In case of dissolution of a joint venture, each one of the constituent firms may qualify if they meet all the qualification requirements subject to the written approval of the Employer.

8. The rescinding of contract of a joint venture on account of reasons other than non-performance, such as most experienced partner of joint venture pulling out, court direction leading to breaking up of a joint venture before the start of work, which are not attributable to the poor performance of the contractor will, however, not affect the qualification of the individual partners.

विश्वासभाजन

(प्रत्यय अमृत)
सचिव.

बिहार सरकार
पथ निर्माण विभाग

पत्रांक–प्र0–6/नियम–02/2010 – 8131 (S) पटना, दिनांक 24.7.12

प्रेषक,

प्रत्यय अमृत
सचिव,

सेवा में,

प्रधान सचिव/सचिव, बिहार, पटना।
जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना।
ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना।
भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना।
लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, बिहार, पटना।
नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार, पटना।
योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना।
निगरानी विभाग, बिहार, पटना।
लघु जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना।
ऊर्जा विभाग, बिहार, पटना।

विषय :– Standard Bidding Document **आधारित निविदाओं में** Joint Venture **के रूप में भाग लेने हेतु** Joint Venture **के शर्त्तों के उपबंध के संबंध में।**

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय पर आपका ध्यान आकृष्ट करते हुए कहना है कि राज्य में लागू Standard Bidding Document के Instruction to Bidders Chapter के कंडिका–4.4 में रुपये 10.00 करोड से अधिक प्राक्कलित राशि के निविदाओं में संवेदकों द्वारा Joint Venture के रूप में भाग लेने का प्रावधान है । किन्तु Joint Venture के लिए Criteria एवं Guideline का उपबंध नहीं होने के कारण इसके कार्यान्वयन हेतु मार्गदर्शन की अपेक्षा की जाती रही है ।

तदनुसार सम्यक विचारोपरांत एवं सरकार के अनुमोदनोंपरांत Standard Bidding Document में Joint Venture के लिए सामान्य Criteria एवं Guideline तथा Format for joint venture agreement का प्रावधान निम्नवत् किया जाता है :–

Criteria for Joint venture participating in the bids for procurement of civil works.

1. Bids from joint venture are only allowed for the works having estimated cost more than 10.00 cr. Bids submitted by a joint venture (JV) of not more than a total of three firms as partners shall comply with the following requirements :-

1.1 There shall be a Joint Venture Agreement (Refer Annexure 1) specific for the contract package between the constituent firms, indicating clearly, amongst other things, the proposed distribution of responsibilities both financial as well as technical for execution of the work amongst them. For the purpose of this clause, the most experienced lead partner will be the one defined. A copy of the Joint Venture agreement in accordance with requirements mentioned in Annexure-I shall be necessarily submitted with the bid.

1.1.1 Alternatively, a letter of intent to execute a JV in the event of successful bid shall be signed by all partners of JV and submitted with the bid together with a copy of the proposed agreement. Pursuant to the foregoing, the JV shall include among other things, the joint venture's objectives, the proposed management structure, the contribution of each partner to joint venture operation, the commitment of the partners to joint and several liability for due performance, recourse/sanctions within the joint venture in the event of default or withdrawal of any partner and arrangements for providing the required indemnities.

1.1.2 The JV so formed shall also have to be registered with the concerned department after issue of LOA but before the agreement.

1.2 The bid, and in the case of the successful bidder, the form of agreement, etc, shall be signed and /or executed in such a manner as may be required for making it legally binding on all partners (including operative parts of the ensuing contract in respect of Agreement of Arbitration, etc). On award of work, the Form of Agreement and Contract Documents shall be signed by all partners of the Joint Venture to conclude Contract Agreement.

1.3 Lead partner shall be nominated as being partner-in-charge; and this authorization shall be evidenced by submitting a power of attorney signed by the legally authorized signatories of all the partners.

1.4 The partner-in-charge shall be authorized to incur liabilities and to receive instruction for and on behalf of the partners of the Joint venture, whether jointly or severally and entire execution of the Contract (including payment) shall be carried out exclusively through the partner-in-charge. A copy of the said authorization shall be furnished with the bid.

1.5 All partners of the Joint Venture shall be liable jointly and severally for the execution of the contract in accordance with contract terms, and a relevant statement to this effect shall be included in the authorization mentioned under sub clause (1.3) above as well as in the Form of tender and the Form of Agreement (in case of a successful bidder).

1.6 In the event of default, all the partners of the Joint venture will retain the full and undivided responsibility for the performance of their obligations under the contract and/or for satisfactory completion of the works.

1.7 The bid submitted shall include all the relevant information as required under the provisions of sub-clause 4.5 of ITB and furnished separately for each partner. The requirement of key plants & equipments construction equipments as per Annexure I of SBD testing equipment for establishing field laboratory key personnel to be employed on contract work as per Annexure II of SBD shall be counted altogether for the partners it shall be less than the requirement.

1.8 The bank guarantee/other suitable instrument in shape of bid security shall be issued in the name of JV and pledged in favor of employer.

2. Each partner of the JV must produce:

2.1 The Permanent account number (PAN) of Income Tax

2.2 An affidavit though 1st class Executive Magistrate that the information furnished with the bid documents is correct in all respect; and

2.3 Such other certificates as defined in the Appendix to ITB. Failure to produce the certificates shall make the bid non-responsive.

3. Each bidder must demonstrate:-

3.1 Availability for construction work, either owned, or on lease or on hire, of the key equipment stated in the Appendix to ITB including equipments required for establishing field laboratory to perform mandatory test, and those stated in the Appendix to ITB. The requirement of key plants & equipments construction equipments as per Annexure I of SBD testing equipment for establishing field laboratory key personnel to be employed on contract work as per Annexure II of SBD shall be counted altogether for the partners it shall be less than the requirement.

3.2 Availability for construction work of technical personnel as stated in the Appendix to ITB. The requirement of key plants & equipments construction equipments as per Annexure I of SBD testing equipment for establishing field laboratory key personnel to be employed on contract work as per Annexure II of SBD shall be counted altogether for the partners it shall be less than the requirement.

3.3 The joint venture must satisfy collectively the criteria laid down in para 3.1 & 3.2 above.

3.4 Liquid assets and/or credit facilities, net of other contractual commitments and exclusive of any advance payments which may be made under the Contract, of not less than the amount specified in the Appendix to ITB.

3.5 The bidder must not have in his employment.

3.5.1 The near relations (defined as first blood relations, and their spouses, of the bidder or the bidder's spouse) of persons. The bidder must produce an affidavit stating that the near relations of the following departmental officers are not in his employment:
JE/AE/EE/SE/CE/E-in- C & Divisional Accountant of any works department of Bihar State.

3.5.2 Without Government permission, any person who retired as gazetted officer within the last two years of the rank and from the departments. The bidder must produce an affidavit stating the names of retired gazetted officer (if any) in his employment who retired within the last two years with the following ranks from the departments listed below:

JE/AE/EE/SE/CE/E-in-C & Divisional Accountant of any works department of Bihar State.

In case there is no such person in his employment, his affidavit should clearly state this fact.

4. To qualify for a package of contracts made up of this and other contracts for which bids are invited in the Notice Inviting Tender, the bidder must demonstrate having experience and resources sufficient to meet the aggregate of the qualifying criteria for the individual contract.

5. If bidder is Joint venture, the partners would be limited to three (including lead partner). Joint venture firm shall jointly and severally responsible for completion of the project. Joint venture must fulfil the following minimum qualification requirement.

5.1 **The lead partner shall meet not less than 50% (fifty percent)** of qualification criteria given in sub-clause 4.2, 4.5 A, 4.5 B, 4.7 & 4.8 of ITB.

5.2 Each of the remaining partners shall meet not less than **25% (Twenty five percent)** of all the qualifying criteria given in sub-clause 4.2, 4.5 A, 4.5 B, 4.7 & 4.8 of ITB.

5.3 However in case one of the joint ventures partner is proposed to be included primarily to provide financial strength to the joint venture, such joint venture partner shall have to commit to provide liquidity support to the project to the extent of 10 % of the value of contract.

5.4 The joint venture must also collectively satisfy the subject of the criteria of clause 4.2, 4.5 A, 4.5B, 4.7 and 4.8 of ITB for this purpose the relevant figures for each of the partners shall be 100% or more.

5.5 In the event that the Employer has caused to disqualify under clause 4.8 of ITB and the constitutions stated below all of the Joint Venture partners will be disqualified.

5.6 Joint venture applicants shall provide a certified copy of the Joint venture Agreement in demonstration of the partners undertaking joint and several liabilities for the performance of any contract entered into with the bid.

5.7 The available bid capacity of the JV as required under clause 4.7 of ITB below will be applied for each partner to the extent of his proposed participation in the execution of the work. The total bid capacity available shall be more than estimated contract value.

The available bid capacity will be calculated as under

Assessed Available Bid capacity = (A*N*M-B)

Where

A = Maximum value of civil engineering works executed in any one year during the last five years (updated to the price level of the last year at the rate of 8 percent a year) taking into account the completed as well as works in progress.

N = Number of years prescribed for completion of the works for which bids are invited.

M = 3

B = value, at the current price level, of existing commitments and on-going works to be completed during the period of completion of the works for which bids are invited.

Note: The statements showing the value of existing commitments and on-going works as well as the stipulated period of completion remaining for each of the works listed should be countersigned by the Engineer in charge, not below the rank of an Executive Engineer or equivalent.

6. Sub-Contractor's (duly authorized) experience and resources shall be taken into account in determining the bidder's compliance with the qualifying criteria. The sub contractor's role may be verified by the employer.

7. Qualification of a joint venture does not necessarily qualify any of its partners individually or as a partner to any other joint venture. In case of dissolution of a joint venture, each one of the constituent firms may qualify if they meet all the qualification requirements subject to the written approval of the Employer.

8. The rescinding of contract of a joint venture on account of reasons other than non-performance, such as most experienced partner of joint venture pulling out, court direction leading to breaking up of a joint venture before the start of work, which are not attributable to the poor performance of the contractor will, however, not affect the qualification of the individual partners.

विश्वासभाजन

(प्रत्यय अमृत)
सचिव,

ज्ञापांक–प्र0–6/नियम–02/2010 – 8131 (S) /पटना, दिनांक 24.7.12

प्रतिलिपि :– सभी अभियंता प्रमुख, सभी कार्य विभाग/ सभी मुख्य अभियंता, सभी कार्य विभाग/सभी अधीक्षण अभियंता, सभी कार्य विभाग एवं सभी कार्यपालक अभियंता, सभी कार्य विभाग, को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(प्रत्यय अमृत)
सचिव,

8131 (5)ur

Annexure-1

Format for Joint Venture Agreement

If the application is made by a joint venture of two or more firms (limited to three firms), the evidence of clear mandate (i.e., in the form of respective Board Resolution duly authenticated by competent authority) by such two or more firms willing to form Joint Venture among themselves for the specified projects should accompany duly recognizing their respective authorised signatories signing for and on behalf of the respective Firms for the purpose of forming the Joint Venture. A certified copy of power of attorney to the authorized representatives, signed by legally authorized signatories of the all the firms of the joint venture shall accompany the application. The JV agreement shall be signed by the authorized representative of the Joint Venture. The JV Agreement shall need to be submitted consisting but not limited to the following provision:-

a. Name, style and project (s) specific JV with head Office address.

b. Extent (or Equity) of participation of each party in the JV.

c. Commitment of each party to furnish the Bond money (i.e., Bid Security, performance security and security for Mobilisation Advance) in proportion to his participation in the JV.

d. responsibility of each partner of JV (in terms of Physical and Financial involvement)

e. Working capital arrangement of JV

f. Operation of separate bank account in the name of JV to be operated by at least one foreign partner and one local partner. In case of JV among local partners, all the partners are required to operate.

g. Provision for cure in case of non-performance of responsibility by any party of the JV.

h. Provision that NEITHER party of the JV shall be allowed to sign, pledge, sell or otherwise dispose all or part of its respective interests in JV to any party including existing partner (s) of the JV The Employer derives right for any consequent action (including blacklisting) against any or all JV partners in case of any breach in this regard.

i. Management Structure of JV with details.

j. Lead partner to be identified who shall be empowered by the JV to incur liabilities on behalf of JV.

k. Parties/firms committing themselves to the Employer for jointly and severally responsible for the intended works.

l. The Power of Attorney shall be duly notarized.

m. Any relevant detail.

बिहार सरकार

जल संसाधन विभाग

पत्रांक– 1/PMC/विविध/957/2014 50 पटना, दिनांक :– 20/01/2020

प्रेषक,

अरूण कुमार द्विवेदी
संयुक्त सचिव (अभियंत्रण)
जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना।

सेवा में,

सभी मुख्य अभियंता (यांत्रिक सहित),
जल संसाधन विभाग, बिहार।

विषय :– प्रतिशत दर निविदा पद्धति में निविदित दर की न्यूनतम सीमा को तत्काल समाप्त कर परिमाण विपत्र की दर से कम उद्धत दर वाले निविदा के लिए **Additional Performance Guarantee** के प्रावधान की स्वीकृति एवं उसके कार्यान्वयन हेतु दिशा–निर्देश।

प्रसंग :– पथ निर्माण विभाग का विभागीय अधिसूचना संख्या– 447(S), दिनांक–16.01.2020 एवं पत्रांक– 449(S), दिनांक–16.01.2020

महाशय,

निदेशानुसार कहना है कि उपर्युक्त प्रासंगिक पत्र के माध्यम से पथ निर्माण विभाग द्वारा पूर्व में लागू प्रतिशत दर निविदा पद्धति में निविदित दर की न्यूनतम सीमा को तत्काल समाप्त कर परिमाण विपत्र की दर से कम उद्धत दर वाले निविदा के लिए **Additional Performance Guarantee** के प्रावधान किया गया है, जिसकी प्रति संलग्न है।

उक्त अधिसूचना संख्या– 447(S) दिनांक 16.01.2020–सह–पठित ज्ञापांक–448(S) दिनांक 16.01.2020 एवं इस अधिसूचना के क्रम में पथ निर्माण विभाग के पत्रांक– 449(S), दिनांक–16.01.2020 द्वारा निर्गत दिशा–निर्देश को जल संसाधन विभाग में भी तत्काल प्रभाव से लागू किया जाता है।

इसका अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

अनु0 :– यथोक्त्।

विश्वासभाजन

20/01/2020

(अरूण कुमार द्विवेदी)
संयुक्त सचिव (अभियंत्रण)

ज्ञापांक– 1/PMC/विविध/957/2014 50 पटना, दिनांक :– 20/01/2020

प्रतिलिपि :– अभियंता प्रमुख, मुख्यालय/अभियंता प्रमुख, बाढ़ नियंत्रण एवं जल निस्सरण/ अभियंता प्रमुख, सिंचाई सृजन/ अधीक्षण अभियंता, योजना एवं मोनिटरिंग अंचल–2/3/ कमाण्ड क्षेत्र विकास निदेशालय/ बाढ़ नियंत्रण योजना एवं मोनिटरिंग अंचल, जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनु0 :– यथोक्त्।

20/01/2020

(अरूण कुमार द्विवेदी)
संयुक्त सचिव (अभियंत्रण)

Desktop/fazal/draft_Letter_Cricular_773

1383

447(S)
16/01/2020

बिहार सरकार
पथ निर्माण विभाग
अधिसूचना

SE-1
17/01/20

1. पथ निर्माण विभाग के पत्रांक–2046 (एस) दिनांक–06.03.2014 द्वारा प्रावधान किया गया है कि प्रतिशत दर निविदा (In Percentage Rate Tender) पद्धति में प्राप्त की जाने वाली सभी प्रकार की निविदाओं में निविदित दर की न्यूनतम अधिसीमा, परिमाण विपत्र की दर से 10 प्रतिशत कम पर निर्धारित रहेगी। 10 प्रतिशत से ज्यादा कम दर उद्धृत रहने वाली निविदायें अमान्य मानी जायेगी।

2. मुख्य सचिव, बिहार की अध्यक्षता में कार्य विभागों के साथ बैठकें करके एवं तदोपरान्त समीक्षा में यह महसूस किया गया है कि सभी कार्य विभागों के लिए न्यूनतम सीमा को तत्काल समाप्त करके एक वर्ष के बाद इसकी गुण–दोषों की समीक्षा की जायेगी।

EE-3/AE.
17/01/2020

उक्त आलोक में एक निश्चित स्तर (परिमाण विपत्र की दर) के नीचे निविदित दर दिये जाने पर निम्नवत् अतिरिक्त कार्य प्रतिभू (Additional Performance Guarantee) लेने का प्रावधान किया जाता है:–

(a) परिमाण विपत्र की दर से 0 से 5 प्रतिशत कम उद्धृत दर वाले निविदा के लिए 0.25 प्रतिशत अतिरिक्त कार्य प्रतिभू (Additional Performance Guarantee) प्रति 01 प्रतिशत उद्धृत कम दर के लिए ली जाय।

(b) परिमाण विपत्र की दर से 5 से 15 प्रतिशत कम उद्धृत कम दर वाले निविदा के लिए 0.5 प्रतिशत अतिरिक्त कार्य प्रतिभू (Additional Performance Guarantee) प्रति 01 प्रतिशत उद्धृत कम दर के लिए ली जाय।

(c) परिमाण विपत्र की दर से 15 से 20 प्रतिशत कम उद्धृत दर वाले निविदा के लिए 01 प्रतिशत अतिरिक्त कार्य प्रतिभू (Additional Performance Guarantee) प्रति 01 प्रतिशत उद्धृत कम दर के लिए ली जाय।

(d) परिमाण विपत्र की दर से 20 प्रतिशत से ऊपर कम उद्धृत दर वाले निविदा के लिए 02 प्रतिशत अतिरिक्त कार्य प्रतिभू (Additional Performance Guarantee) प्रति 01 प्रतिशत उद्धृत कम दर के लिए ली जाय।

यह आदेश तत्काल प्रभाव से प्रभावी रहेगा।

बिहार राज्यपाल के आदेशानुसार

16.1.2020
(अमृत लाल मीणा)
प्रधान सचिव,
पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक– प्र०–6/द०बि० नियम–03–08/2006 (अंश)– 448(S) / पटना, दिनांक 16/01/2020
प्रतिलिपि :– महालेखाकार, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

16.1.2020
(अमृत लाल मीणा)
प्रधान सचिव,
पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

कृ०पृ०उ०

C:\USERS\VS_CELL\DESKTOP\PROCEEDING OF 10%\ADHISUCHANA.DOCX

ज्ञापांक– प्र०–6/द०बि० नियम–03–08/2006 (अंश)– 448(ऽ) / पटना, दिनांक 16/01/2020

प्रतिलिपि :– अवर सचिव, ई गजट कोषाग, गजट वित्त विभाग, बिहार, पटना को अधिसूचना की दो hard copy (हिन्दी एवं अंग्रेजी), MS Word में CD के साथ बिहार राजपत्र में प्रकाशन हेतु प्रेषित।

अनुरोध है कि प्रकाशित गजट की 1000 प्रतियाँ विभाग को उपलब्ध कराने की कृपा की जाय।

16.1.2020

(अमृत लाल मीणा)
प्रधान सचिव,
पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक– प्र०–6/द०बि० नियम–03–08/2006 (अंश)– 448(ऽ) / पटना, दिनांक 16/01/2020

प्रतिलिपि :– सभी प्रधान सचिव/सभी सचिव/सभी विभागाध्यक्ष/सभी प्रमण्डलीय आयुक्त/सभी जिला पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

16.1.2020

(अमृत लाल मीणा)
प्रधान सचिव,
पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक– प्र०–6/द०बि० नियम–03–08/2006 (अंश)– 448(ऽ) / पटना, दिनांक 16/01/2020

प्रतिलिपि :– अभियंता प्रमुख–सह–अपर आयुक्त–सह–विशेष सचिव, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना/प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य पुल निर्माण निगम लि0, पटना/प्रबंध निदेशक, बिहार स्टेट रोड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लि0, पटना/सभी मुख्य अभियंता, पथ निर्माण विभाग/सभी अधीक्षण अभियंता, पथ निर्माण विभाग/सभी कार्यपालक अभियंता, पथ निर्माण विभाग/मुख्यालय स्थित सभी राजपत्रित पदाधिकारियों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

16.1.2020

(अमृत लाल मीणा)
प्रधान सचिव,
पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक– प्र०–6/द०बि० नियम–03–08/2006 (अंश)– 448(ऽ) / पटना, दिनांक 16/01/2020

प्रतिलिपि :– माननीय मंत्री, पथ निर्माण विभाग के आप्त सचिव को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

16.1.2020

(अमृत लाल मीणा)
प्रधान सचिव,
पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक– प्र०–6/द०बि० नियम–03–08/2006 (अंश)– 448(ऽ) पटना, दिनांक 16/01/2020

प्रतिलिपि :– अधीक्षण अभियंता (अनुश्रवण), पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना/ आई०टी० मैनेजर, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना को विभागीय website पर Upload करने हेतु प्रेषित।

16.1.20

(अमृत लाल मीणा)
प्रधान सचिव,
पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

बिहार सरकार

पथ निर्माण विभाग।

पत्रांक– प्र०–6/द0वि0 नियम–03–08/06(अंश)– 449 (S) पटना, दिनांक– 16/01/2020

प्रेषक,

अमृत लाल मीणा,
प्रधान सचिव,
पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

SE-1
17/01/20

सेवा में,

सभी मुख्य अभियंता (रा०उ०प० सहित), पथ निर्माण विभाग।
सभी अधीक्षण अभियंता (रा०उ०प० सहित), पथ निर्माण विभाग।
सभी कार्यपालक अभियंता (रा०उ०प० सहित), पथ निर्माण विभाग।

EE-3/AE
17/01/2020

विषयः– **प्रतिशत दर निविदा पद्धति में निविदित दर की न्यूनतम सीमा को तत्काल समाप्त कर परिमाण विपत्र की दर से कम उद्धत दर वाले निविदा के लिए Additional Performance Guarantee के प्रावधान की स्वीकृति एवं उसके कार्यान्वयन हेतु दिशा– निर्देश।**

महाशय,

उपर्युक्त विषयक विभागीय अधिसूचना संख्या–447(S), दिनांक 16.01.2020–सह–पठित ज्ञापांक–448(S), दिनांक 16.01.2020 द्वारा प्रतिशत दर निविदा (In Percentage Rate Tender) पद्धति में प्राप्त की जाने वाली सभी प्रकार की निविदाओं में निविदित दर की न्यूनतम अधीसीमा को तत्काल समाप्त करते हुए परिमाण विपत्र की दर से कम उद्धत दर वाले निविदा के लिए Additional Performance Guarantee का प्रावधान किया गया है।

इस संबंध में निदेशित किया जाता है कि वैसी निविदाएँ, जो निर्गत हो चुकी हैं तथा दिनांक 16.01.2020 के बाद प्राप्ति होनी है, उन सभी निविदाओं में प्राप्ति की तिथि का यथोचित अवधि विस्तार करते हुए उक्त निर्णय संबंधी शर्त्ते जोड़ी जाय।

कृपया इसका अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

विश्वासभाजन

16.1.20

(अमृत लाल मीणा)

ज्ञापांक– प्र०–6/द0वि0 नियम–03–08/06(अंश)– 449 (S) पटना, दिनांक 16/01/2020

प्रतिलिपिः सभी कार्य विभागों के अपर मुख्य सचिव/ प्रधान सचिव/ सचिव को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

16.1.20

(अमृत लाल मीणा)

ज्ञापांक– प्र०–6/द0वि0 नियम–03–08/06(अंश)– 449 (S) पटना, दिनांक 16/01/2020

प्रतिलिपिः प्रबन्ध निदेशक, बिहार राज्य पुल निर्माण निगम लि०, पटना/ मुख्य महाप्रबन्धक, बिहार राज्य पथ विकास निगम लि०, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

16.1.20

(अमृत लाल मीणा)

ज्ञापांक– प्र०–6/द0वि0 नियम–03–08/06(अंश)– 449 (S) पटना, दिनांक 16/01/2020

प्रतिलिपिः माननीय मंत्री, पथ निर्माण विभाग. बिहार के आप्त सचिव को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

16.1.20

(अमृत लाल मीणा)

334

ज्ञापांक– प्र०–6/द0वि0 नियम–03–08/06(अंश)– 449 (S) पटना, दिनांक 16/01/2020

प्रतिलिपिः प्रधान सचिव के आप्त सचिव, पथ निर्माण विभाग/ अभियंता प्रमुख के आप्त सचिव, पथ निर्माण विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

16.1.20

(अमृत लाल मीणा)

बिहार सरकार

जल संसाधन विभाग

पत्रांक : 1/PMC/विविध/879/2012 –704 दिनांक : 03.08.18

आदेश

दो करोड़ रूपये से अधिक की लागत के कार्यों के क्रियान्वयन हेतु निविदा के माध्यम से कार्यावंटन की औपचारिकताएँ पूर्ण करने हेतु राज्य में लागू एस०बी०डी० में सन्निहित Qualification Criteria को एस०बी०डी० के प्रावधानों के तहत विभागीय आदेश सं०–1/पी०एम०सी०/विविध/879/2012–200 दिनांक 14.03.2016 के द्वारा व्याख्या की गई है ताकि संवेदकों के बीच भ्रम की स्थिति नहीं रहे। इसका उद्देश्य सुयोग्य एवं अनुभवी संवेदकों/फर्मों की सेवाएँ विभागीय कार्यों हेतु प्राप्त कर वित्तीय स्पर्द्धा सुनिश्चित किया जाना भी है। परन्तु यह पाया जा रहा है कि Contract Management से संबंधित एस०बी०डी० के कतिपय कंडिकाओं की व्याख्या अभी भी आवश्यक है। इस क्रम मे एस०बी०डी० की निम्न कंडिकाओं से संबंधित मार्गदर्शी सिद्धांत प्रतिपादित किये जा रहे हैं:–

1. SBD Section 1 ITB के कंडिका 4.5 (A)(c) के अधीन Experience of Executed Quantity of works

1.1 जल संसाधन विभाग के कार्यों यथा वीयर, चेक डैम, बराज, सी०डी० वर्क्स, एच०आर०, सी०आर० इत्यादि में बहुतायत मात्रा में सीट–पाईल का उपयोग किया जाता है। चूकि सीट–पाईल का उपयोग मूलतः जल संसाधन विभाग के संरचनाओं में ही होता है, अतः अन्य कार्य विभागों के सुयोग्य संवेदकों/फर्मों की सहभागिता सुनिश्चित नहीं हो पाती है। ऐसी परिस्थिति में नदियों पर निर्मित किये गये पुलों में प्रयुक्त किये गये स्टील–पाईल/बोर–पाईल की भी मान्यता सीट पाईल के बदले में दी जानी चाहिए।

चूँकि सीट पाईल एवं स्टील–पाईल की गणना मेट्रीक टन में की जाती है, अतः इन दोनों को समकक्ष मानते हुए कार्यानुभव की मांग की जाय। यदि कार्य एक वित्तीय वर्ष में किया जाना है तो **Sheet Pile/ Steel Pile** मद में 40 प्रतिशत का कार्यानुभव प्रमाण–पत्र निविदा दस्तावेज में मांगी जाय।

इसके अतिरिक्त **Sheet Pile** के कार्यानुभव के रूप में नदियों में निर्मित किये गये पुलों में 1.0 मीटर dia या इससे अधिक dia का पाईल की भी मान्यता दी जानी चाहिऐ। इस हेतु कार्य में लगने वाले सीट पाईल को प्रति मेट्रीक टन 20.32 मीटर लंबाई के दर से रूपांतरित करते हुए बोर पाईल की भी मान्यता दी जाय।

उदाहरणस्वरूप :–

- कार्य में प्रयुक्त होने वाले सीट पाईल की मात्रा – 100MT
- प्रति मेट्रीक टन 20.32 मीटर की दर से सीट पाईल की लंबाई = 100x20.32=2032m
- उक्त के समतुल्य 1.0 मीटर dia या इससे अधिक dia का 2032 मीटर लंबाई का Bore Pile माना जाय।
- Bore Pile के कार्यानुभव के रूप 1.0 मीटर Dia या इससे अधिक Dia के उक्त लंबाई का 40 प्रतिशत यानि 2032x0.4=812.80 मीटर लंबाई का प्रमाण–पत्र निविदा दस्तावेजों में मांगी जाय।

1.2 इस प्रकार निविदा दस्तावेज में सीट पाईल के कार्यानुभव के कॉलम में सीट पाईल/ नदियों पर निर्मित पुलों मे प्रयुक्त किये गए स्टील पाईल/ नदियों पर निर्मित पुलों मे प्रयुक्त किये गए 1.0 मीटर dia या इससे अधिक dia के बोर पाईल = 40MT/40MT/812.8m अंकित किया जाय।

2. SBD Section 1 ITB के कंडिका 4.7 के अधीन Available Bid Capacity की गणना हेतु Value of Existing Commitments and Ongoing works से संबंधित प्रमाण पत्र समर्पित किया जाना है, जो Engineer in charge (कार्यपालक अभियंता अथवा समकक्ष से कम नहीं) से प्रतिहस्ताक्षरित हो। इस हेतु SBD Section 2 कंडिका 1.4(A) में विहित प्रपत्र भी संलग्न है। विभागीय कार्यो के निविदा निस्तार के

fazal/draft435

दौरान यह पाया गया है कि बहुत से अनुभवी, योग्य एवं Financialy Sound संवेदक/ फर्म विहित प्रपत्र में सूचनाएँ नहीं समर्पित करने के कारण निविदा में भाग नहीं ले पाते हैं अथवा निविदा के तकनीकी बीड में असफल घोषित कर दिये जाते हैं। अतः यदि फर्म/संवेदक निविदा के साथ Value of Existing Commitments and Ongoing works के लिए Engineer in charge से विहित प्रपत्र में प्रतिहस्ताक्षरित प्रमाण पत्र के बदले में संबंधित कार्य के एकरारनामा/कार्यावंटन आदेश जिसमें कार्य की राशि सम्मिलित हो, समर्पित करते है तो कुल एकरारित/कार्यावंटित राशि को Value of Existing Commitments and Ongoing works मानते हुए Bid Capacity की गणना की जाय।

3. विभागीय आदेश सं०–1/पी०एम०सी०/विविध/879/2012–200 दिनांक 14.03.2016 को उक्त हद तक संशोधित समझा जाय।

4. उपरोक्त पर माननीय मंत्री, जल संसाधन विभाग, बिहार का अनुमोदन प्राप्त है।

03/08/2018

(अरूण कुमार द्विवेदी)
संयुक्त सचिव (अभियंत्रण)

ज्ञापांक : 1/PMC/विविध/879/2012–704 दिनांक : 03.08.18

प्रतिलिपि : अभियंता प्रमुख, सिंचाई सृजन/मुख्य अभियंता योजना एवं मोनिटरिंग/संयुक्त सचिव (प्रबंधन)/सभी मुख्य अभियंता, (यॉत्रिक सहित)/निदेशक, वाल्मी/संयुक्त निदेशक, एफ०एम०आई०एस०सी०/अधीक्षण अभियंता, योजना एवं मोनिटरिंग अंचल–1/2/3/4 एवं अधीक्षण अभियंता, बाढ़ नियंत्रण एवं योजना मोनिटरिंग अंचल/अधीक्षण अभियंता, उड़नदस्ता अंचल/उप सचिव, काडा/आई०टी० मैनेजर, जल संसाधन विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

03/08/2018

(अरूण कुमार द्विवेदी)
संयुक्त सचिव (अभियंत्रण)

ज्ञापांक : 1/PMC/विविध/879/2012–704 दिनांक : 03.08.18

प्रतिलिपि : माननीय मंत्री, जल संसाधन विभाग के आप्त सचिव/प्रधान सचिव, जल संसाधन विभाग के आप्त सचिव को सूचनार्थ समर्पित।

03/08/2018

(अरूण कुमार द्विवेदी)
संयुक्त सचिव (अभियंत्रण)

fazal/draft436

अनुमोदन हेतु प्रारूप

अभियंता प्रमुख–सह–अपर आयुक्त–सह–विशेष सचिव का कार्यालय, पथ निर्माण विभाग बिहार, पटना

पत्रांक–प्र07 / नियम–01 / 2017 2863(G) पटना, दिनांक 7.6.2017

प्रेषक,

लक्ष्मी नारायण दास,
अभियंता प्रमुख–सह–अपर आयुक्त–सह विशेष सचिव,
पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

सेवा में,

सभी मुख्य अभियंता, पथ निर्माण विभाग।
सभी अधीक्षण अभियंता, पथ निर्माण विभाग।
सभी कार्यपालक अभियंता, पथ निर्माण विभाग।

विषयः राज्य Standard Bidding Documents के आधार पर प्राप्त की जाने वाली निविदाओं के संबंध में।

महाशय,

आप अवगत हैं कि दो करोड़ से ऊपर की राशि के लिए प्राप्त की जाने वाली निविदाओं के लिये राज्य Standard Bidding Documents लागू है। इसके Instruction to Bidders की कंड़िका 4.5A(b) के तहत् SBD के Section-2 (Qualification Information) की कंड़िका 1.3.1 में समरूप कार्य हेतु NIT से संबंधित वित्तीय वर्ष को छोड़कर विगत पाँच वर्षों के अनुभव की मान्यता दिये जाने का प्रावधान है।

सम्यक विचारोपरान्त SBD के ITB की कंडिका 4.5A(b) के तहत् अनुभव प्रमाण पत्र के cut off हेतु निविदा प्राप्ति की अंतिम तिथि के पूर्व माह के अंतिम तिथि को मान्य करने का निर्णय लिया गया है। भविष्य में आमंत्रित की जाने वाली निविदाओं के Bid Documents में तद्नुसार प्रावधान किया जाय एवं उसका उल्लेख SBD के Appendix to ITB एवं Section-2 (Qualification Information) में अवश्य अंकित किया जाय।

2. उक्त प्रस्ताव पर सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

विश्वासभाजन

7/6/17

(लक्ष्मी नारायण दास)
अभियंता प्रमुख–सह अपर आयुक्त–सह विशेष सचिव
पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

कृ0पृ0उ0

ज्ञापांकः प्र07/नियम–01/2017 2863(E) /पटना, दिनांक 7-6-2017

प्रतिलिपिः सभी प्रधान सचिव/सचिव, भवन निर्माण विभाग, ग्रामीण कार्य विभाग, लोक स्वास्थ्य अभियत्रण विभाग, जल संसाधन विभाग, लघु जल संसाधन विभाग, नगर विकास एवं आवास विभाग, योजना एवं विकास विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

अभियंता प्रमुख–सह अपर आयुक्त–सह विशेष सचिव
पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांकः प्र07/नियम–01/2017 2863(E) /पटना, दिनांक 7/6/2017

प्रतिलिपिः प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य पुल निर्माण निगम लिमिटेड/ महाप्रबंधक, बिहार स्टेट रोड डेभलपमेंट कॉपोरेशन लिमिटेड को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

अभियंता प्रमुख–सह अपर आयुक्त–सह विशेष सचिव
पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांकः प्र07/नियम–01/2017 2863(E) /पटना, दिनांक 7/6/2017

प्रतिलिपिः प्रधान सचिव के आप्त सचिव, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

अभियंता प्रमुख–सह अपर आयुक्त–सह विशेष सचिव
पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांकः प्र07/नियम–01/2017 2863(E) /पटना, दिनांक 7/6/2017

प्रतिलिपिः माननीय उप मुख्य(पथ निर्माण) मंत्री, बिहार के आप्त सचिव को सूचनार्थ प्रेषित।

अभियंता प्रमुख–सह अपर आयुक्त–सह विशेष सचिव
पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांकः प्र07/नियम–01/2017 2863(E) /पटना, दिनांक 7/6/2017

प्रतिलिपिः अधीक्षण अभियंता(अनुश्रवण), पथ निर्माण विभाग को पत्र की प्रति के साथ विभागीय वेबसाईट पर आलोड करने हेतु प्रेषित।

अभियंता प्रमुख–सह अपर आयुक्त–सह विशेष सचिव
पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

बिहार सरकार,,
जल संसाधन विभाग

पत्रांक 1/पी.एम.सी./विविध/629/2003- 796 पटना, दिनांक 24-5 2005

प्रेषक,

ई0 श्याम नन्दन प्रसाद,
संयुक्त सचिव (अभियंत्रण)

सेवा में,

सभी मुख्य अभियन्ता,
जल संसाधन विभाग, बिहार ।

विषय:- जल संसाधन विभाग में एक करोड़ रूपये से अधिक राशि की निविदा में सदृश कार्यो की परिभाषा के संबंध में ।

महाशय,

मानक निविदा सूचना में एक करोड़ रूपये से अधिक राशि के कार्य में प्री-क्वालीफिकेशन बीड में सफल घोषित होने के लिए कार्य की प्राक्कलित राशि का एक निश्चित न्यूनतम प्रतिशत का सदृश कार्य कराने या प्रगति में रहने का शर्त्त रखा गया है । ऐसा देखा जा रहा है कि क्षेत्रीय पदाधिकारियों द्वारा सदृश कार्य का अलग-अलग व्याख्या कर निर्णय लिया जाता है, जिसके चलते विभाग के क्षेत्रीय पदाधिकारियों के निर्णय में एक रूपता नहीं रह जाती है एवं इसके चलते वैधिक समस्यायें भी उत्पन्न हो सकती है । सदृश कार्य के वर्गीकरण को विभागीय पत्रांक 1/पी.एम.सी./विविध/629/2003-122 दिनांक 2.2.05 एवं 534 दिनांक 9.4.05 द्वारा स्पष्ट करते हुए दिशा- निर्देश निर्गत किया गया है, परन्तु अभी भी कुछ बिन्दुओं पर भ्रम पैदा हो रहा है । अतः सदृश कार्य के वर्गीकरण के संबंध में विभागीय पत्रांक 1/पी.एम.सी./ विविध/629/2003-122 दिनांक 2.2.05 एवं 534 दिनांक 9.4.05 को विलोपित किया जाता है तथा इसे निम्न प्रकार से स्पष्ट किया जाता है ।

सदृश कार्य के अनुभव में कोई भी संरचना निर्माण-कार्य के अनुभव को स्वीकार किया जाय । सभी असैनिक संरचनाओं के निर्माण कार्य को सदृश माना जाय एवं मात्र निम्नांकित भेद किया जाय :-

<u>भेद-1</u> नदी के बीच बराज, वीयर, डैम, स्पीलवे, वृहत् साईफन, बड़ा गाईड बांध एवं लम्बे पुल आदि कार्यो के लिए सदृश की संज्ञा वही होगी जो इस तरह के नदियों के नियंत्रण कार्यो से संबंधित रहा हो । इसमें अलग-अलग वर्गीकरण नहीं किया जायेगा । इसमें भेद-2 के कार्य अनुभव को मान्यता नहीं दी जाएगी ।

<u>भेद-2</u> पथ, नहर, तटबंधों तथा जल निकासी योजनाओं एवं इसके पुनर्स्थापन कार्य के अन्तर्गत मिट्टी कार्य, संरचना कार्य, तटबंध के उपरी सतह पर पक्कीकरण के कार्य को एक तरह का सदृश कार्य माना जाय । इसमें भेद-1 के कार्य अनुभव को मान्यता दी जाएगी ।

पक्की सड़क कार्य हेतु आवश्यक कार्य अनुभव के अतिरिक्त यह विशेष शर्त्त होगा कि " पक्की सड़क का कार्य उन्हीं को दिया जायगा, जिसके पास हॉट मिक्स प्लान्ट उपलब्ध हो । "

विश्वासभाजन

(श्याम नन्दन प्रसाद)
संयुक्त सचिव (अभियंत्रण)

बिहार सरकार

जल संसाधन विभाग ।

आदेश

आदेश संख्या–1/पी0एम0सी0/विविध/879/2012–274 /पटना, दिनांक– 18.04.2016

विभागीय आदेश संख्या–1/पी0एम0सी0/ विविध/879/2012–200/पटना, दिनांक 14.03.2016 द्वारा मानक बिडिंग डोक्यूमेंट (SBD) के विभिन्न कंडिकाओं में वर्णित Contractual provisions को लागू करने हेतु मार्गदर्शी सिद्धान्त प्रतिपादित किए गये है । उक्त आदेश के कंडिका **2.3** में key and critical equipments के Max*** age as on .....(years) के संबंध में यह वर्णित है कि संवेदक को यह शपथ पत्र संलग्न करना होगा कि उनके द्वारा owned/ lease पर उपलब्ध मशीन का जीवनकाल पॉच वर्ष से अधिक नहीं है, जबकि विभागीय अनुसूचित दर पुस्तिका में अंकित मशीनों के जीवनकाल से स्पष्ट है कि विभागीय कार्यों में प्रयुक्त होने वाले अधिकांश मशीनों का जीवनकाल पॉच वर्षो से अधिक है। उक्त विरोधाभाष को दूर करने के दृष्टिकोण से उक्त वर्णित विभागीय आदेश के कंडिका 2.3 को निम्नरूपेण प्रतिस्थापित किया जाता है:–

एस0बी0डी0 के सेक्सन–1 एनेक्सचर–। List of key and critical equipments में Max*age as on .....(years) के कॉलम में अनुसूचित दर पुस्तिका में मशीनों के निर्धारित जीवनकाल में से दो वर्ष कम कर प्राप्त वर्ष अथवा पॉच वर्ष में जो अधिक हो उसे ही अंकित किया जाय। यदि निविदा के साथ निविदाकार द्वारा यह शपथ पत्र संलग्न किया जाता है कि उनके द्वारा owned/ lease पर उपलब्ध मशीन का जीवनकाल Max***age as on .....(years) के कॉलम में अंकित वर्षो से अधिक नहीं है,तो उसकी मान्यता दी जाय।**

उक्त प्रस्ताव पर माननीय मंत्री, जल संसाधन विभाग, बिहार का अनुमोदन प्राप्त है।

18.4.16

(योगेश्वरधारी सिंह)
संयुक्त सचिव(अभियंत्रण)

ज्ञापांक–1/पी0एम0सी0/विविध/879/2012–274 /पटना, दिनांक– 18.04.2016

प्रतिलिपि अभियंता प्रमुख (दक्षिण)/ अभियंता प्रमुख (उत्तर)/ संयुक्त सचिव, जल संसाधन विभाग, पटना/ मुख्य अभियंता, योजना एवं मोनिटरिंग/ संयुक्त सचिव (अभियंत्रण)/ संयुक्त सचिव (प्रबंधन)/ सभी मुख्य अभियंता, (यॉत्रिक सहित) जल संसाधन, बिहार/ निदेशक, वाल्मी/संयुक्त निदेशक, एफ0एम0आई0एस0सी0/अधीक्षण अभियंता, योजना एवं मोनिटरिंग अंचल–1/2/3/4 एवं अधीक्षण अभियंता, बाढ़ नियत्रंण योजना एवं मोनिटरिंग अंचल/अधीक्षण अभियंता, उड़नदस्ता अंचल/ उप सचिव, काडा/आई0टी0 मैनेजर, जल संसाधन विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

18.4.16

(योगेश्वरधारी सिंह)
संयुक्त सचिव(अभियंत्रण)

ज्ञापांक–1/पी0एम0सी0/विविध/879/2012–274 /पटना, दिनांक– 18.04.2016

प्रतिलिपि माननीय मंत्री, जल संसाधन विभाग के आप्त सचिव/ प्रधान सचिव, जल संसाधन विभाग के निजी सहायक को सूचनार्थ समर्पित।

18.4.16

(योगेश्वरधारी सिंह)
संयुक्त सचिव(अभियंत्रण)

पत्रांक- मो02-पूर्णियाँ-01/2013- 251

बिहार सरकार,

जल संसाधन विभाग ।

प्रेषक,

सुमीर कुमार चटर्जी,
संयुक्त सचिव (अभियंत्रण)

सेवा में,

सभी मुख्य अभियंता (केन्द्रीय रूपांकण एवं यांत्रिक सहित),
जल संसाधन विभाग, बिहार ।

पटना, दिनांक- 05 / 03 / 2014

विषय:- जल संसाधन विभाग के कार्यों के कार्यान्वयन की पद्धति को सुदृढ़ एवं कारगर बनाने के संबंध में ।

महाशय,

निदेशानुसार कहना है कि जल संसाधन विभाग द्वारा बड़े पैमाने पर जल संसाधन के विकास से संबंधित योजनाओं पर कार्य कराये जा रहे है । अभियंत्रण कार्यों के सुचारू रूप से कार्यान्वयन हेतु सुसंगत नियम एवं व्यवस्था विभिन्न परिपत्रों/ नियमों के माध्यम से निर्धारित की गयी है जिसका क्षेत्रीय स्तर पर दृढ़तापूर्वक अनुपालन आवश्यक है। इस संबंध में मुख्य अभियंता, जल संसाधन, पूर्णियाँ एवं मुजफ्फरपुर के अधीन मिट्टी ढुलाई में लीड की स्वीकृति संबंधी मामले में क्षेत्रीय पदाधिकारियों के बीच यह भ्रम की स्थिति है कि कार्य पूर्ण होने के पश्चात् ही लीड की स्वीकृति दी जायेगी । मंत्रिमंडल (निगरानी) विभाग, तकनीकी परीक्षक कोषांग के पत्रांक 452 दिनांक 02.03.84 के कंडिका 4.3.10 में स्पष्ट रूप से यह अंकित है कि प्रावैधिक स्वीकृति प्रदान करते समय इनिशियल लीड लिफ्ट के अतिरिक्त लीड लिफ्ट जहाँ कहीं भी आवश्यक प्रतीत हो उसका विस्तृत उल्लेख कारण एवं बौरो एरिया प्लान के साथ संलग्न करना अनिवार्य होगा और इसके लिए प्राक्कलन स्वीकृत करने वाले अधिकारी जिम्मेवार समझे जायेंगे । इस नियम का अनुपालन क्षेत्रीय स्तर पर दृढ़तापूर्वक नहीं किया जा रहा है एवं पोस्ट-फैक्टो लीड प्लान की स्वीकृति की बात कही जा रही है । इसका कुप्रभाव कार्य की प्रगति प्रभावित होने एवं निर्धारित लक्ष्य के अनुरूप व्यय नहीं होने के रूप में परिलक्षित हो रहा है । अतः प्रावैधिक स्वीकृति प्रदान करते समय उक्त नियम का दृढ़ता से अनुपालन किया जाय । जिन प्राक्कलनों में बौरो एरिया प्लान/ डिस्पोजल प्लान संलग्न नहीं है, वहाँ मुख्य अभियंता अविलम्ब बौरो एरिया प्लान/ डिस्पोजल प्लान का निर्धारण कर लीड प्लान की स्वीकृति प्रदान करेंगे । स्वीकृत लीड प्लान के अनुरूप ही कार्य कराया जायेगा ।

यह भी स्पष्ट करना है कि लीड प्लान स्वीकृति की पूर्ण शक्ति मुख्य अभियंता में सन्निहित होगी । साथ ही साथ एकरारनामा में निहित लीड के अतिरिक्त लीड में यदि कोई वृद्धि हो रही है तो उसपर बिहार लोक निर्माण संहिता के कंडिका-182A के अनुरूप सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त करना अनिवार्य होगा ।

उक्त वर्णित स्थिति एकरारित/अतिरिक्त मदों की स्वीकृति में भी है। प्राक्कलनों का निर्माण विस्तृत सर्वेक्षण एवं समुचित आकलन के आधार पर किया जाय, ताकि पुनरीक्षित प्राक्कलन की स्थिति नहीं बने । यदि अपरिहार्य स्थिति में एकरारित मदों से विचलन/ नये कार्य मदों की स्थिति बनती है तो इसका पूर्वानुमान एवं पूर्व आकलन कर लोक निर्माण

क्रमशः

संहिता में प्रत्यायोजित शक्तियों के तहत स्वीकृति प्रदान की जाय तथा आवश्यकतानुसार मुख्यालय की स्वीकृति प्राप्त की जाय । कार्य पूर्ण होने की प्रतीक्षा न की जाय ।

दूसरा विन्दु है डिवाटरिंग । इस संबंध में स्पष्ट करना है कि प्राक्कलन में स्थल पर Sub-Soil water level का आकलन कर डिवाटरिंग का प्रावधान किया जाय, परन्तु इसके अधिकतम सीमा पर केन्द्रीय जल आयोग के मापदंडों के अनुरूप कैपिंग अवश्य ही लगाई जाय । यदि निर्धारित अधिकतम सीमा से अधिक डिवाटरिंग की आशंका है तो कार्य के प्रारंभिक अवस्था में ही केन्द्रीय रूपांकण एवं शोध के पदाधिकारियों को सम्मिलित कर एक टीम द्वारा डिवाटरिंग की अनुमान्यता का निर्धारण कराया जाय । कार्य के दौरान यदि डिवाटरिंग की आवश्यकता महसूस होती है एवं इसका प्रावधान एकरारनामा में नहीं है तो मुख्य अभियंता स्थल निरीक्षणोपरान्त डिवाटरिंग हेतु आदेश निर्गत करेंगे एवं लोक निर्माण संहिता में अतिरिक्त कार्य मदों हेतु प्रत्यायोजित शक्तियों के तहत स्वीकृति प्रदान करेंगे तथा आवश्यकतानुसार मुख्यालय की स्वीकृति प्राप्त करेंगे। डिवाटरिंग कार्य के सापेक्ष संबंधित संरचना का निश्चित समानुपातिक भौतिक प्रगति सुनिश्चित की जाय एवं तदनुरूप ही भुगतान किया जाय ।

उक्त निदेशों का दृढ़ता से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय ।

विश्वासभाजन,

5/3/2014

(सुमीर कुमार चटर्जी)
संयुक्त सचिव (अभियंत्रण)

पत्रांक 258 दिनांक 05/03/2014

प्रतिलिपि - अधीक्षण अभियंता, पी एवं जी डाचल - 1/3 को बाढ़ नियंत्रण की सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

5/3/14
(राजवंश चौधरी)
अधीक्षण अभियंता-2